विवरणिका

2016-17

रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय

बिजनौर (उ.प्र.)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बी.ग्रेड (2.76) व बी.एड. बी ग्रेड (2.65) प्राप्त संस्थान

यू.जी.सी. एक्ट 1956 के अन्तर्गत 2 एफ एवं 12 बी की सूची में सम्मिलित

Rs. 500/

सम्बद्धता : एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रबन्धन : वीरा चैरीटेबिल सोसायटी , शिक्षा के प्रचार, प्रसार व उन्नयन में निरन्तर अग्रसर एक प्रतिष्ठित संस्थान

1772

संस्थापक व पथ प्रदर्शक

स्व. रानी भाग्यवती देवी जी

स्व० धर्मवीर जी

स्व० कुँवर सत्यवीर जी

महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति

अध्यक्ष
श्रीमती रुचि वीरा
विधायक, बिजनौर

सचिव
श्रीमती मुक्ता वीरा
समाजसेविका

कोषाध्यक्ष
श्री प्रवीन गुप्ता
सेवानिवृत डिस्टलरी मैनेजर

विशेष आमंत्रित सदस्य
श्री उदयन वीरा
सेक्रेट्री, वीरा चै. सो.
जिला पंचायत अध्यक्ष, बिजनौर

सदस्य
श्री सुरेन्द्र सिंह विश्नोई
प्रतिष्ठित अधिवक्ता

सदस्य
श्री अमिताभ वीरा
प्रतिष्ठित एडवरटाईज़र

सदस्य
श्रीमती स्वाति वीरा
एम.एस.सी. (फाइनेनशियल इकोनामिक्स)
यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, लन्दन

सदस्य
श्रीमती सरोज गुप्ता
राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त
सेवा.नि. प्रधानाचार्या
के.पी.एस. कन्या इन्टर कालेज

डा० रश्मि त्रिवेदी, प्राचार्या

एम.ए., एम.एड., पीएच.डी. (समाजशास्त्र)
रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय
बिजनौर

रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय शिक्षण, प्रशिक्षण तथा सशक्तीकरण का एक अनुपम संस्थान है जिसमें आधुनि शिक्षण पद्धति द्वारा शोध एवं शिक्षण की अति सुगम व्यवस्था है। महाविद्यालय छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिये असीमित अवसर प्रदान करता है महाविद्यालय के सम्मान एवं गर्व को ऊँचा उठाने के लिये महाविद्यालय की छात्राओं ने विश्वविद्यालय मेरिट में स्थान प्राप्त कर सफलता का परचम लहराय है।

हमारे महाविद्यालय में छात्राओं के लिये कई व्यावसायिक कार्यक्रम जैसे बी.सी.ए., मासकॉम व पत्रकारिता, बी.एस.सी., एम.एस.सी (गृहविज्ञान) बी.एड., आंतरिक साज-सज्जा, टैक्सटाइल डिजाइनिंग, कम्प्यूटर शिक्षा, इग्नू से संबधित कार्यक्रम जैसे बैचलर ऑफ सोशल वर्क्स मास्टर ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इनफॉरमेशन सांइस, डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट और सोशल वर्क, पी.जी. डिप्लोमा इ जर्नलिज्म एण्ड मास कॉम, एम.एस-सी. इन काउन्सिलिंग इन फैमिली थेरेपी इत्यादि चलाए जा रहे हैं।

महाविद्यालय के इग्नू से जुड़ने के कारण जॉब कोर्सेस में वृद्धि हुई है, जिससे छात्राओं को रोजगार की और अधिक संभावनायें प्राप्त हुई है महाविद्यालय में शैक्षिक तकनीकी की मदद से शैक्षिक गुणवत्ता की एक संस्कृति स्थापित है।

महाविद्यालय का नेट मूल्यांकन कराया जा चुका है, जिसमे महाविद्यालय तथा बी.एड. कोर्स को उच्च श्रेणी का बी ग्रेड प्राप्त हुआ है। गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से महाविद्यालय मे आंतरिक गुणवत्ता सुधार समिति (IQAC) का भी गठन किया गया है, जिससे शैक्षिक एवं प्रबंधन सहायता जैसे कार्य व पाठ्यसहभागी क्रियाओं आदि में सभी छात्राओं की सहभागितासे महाविद्यालय की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार हो सके।

कालेज में शिक्षक-अभिभावक संघ, पुरातन छात्रा संघ आदि की भी स्थापना की गई है जिससे उनके विचारों और सुझावों को भी कालेज की प्रगति में शामिल किया जा सके। महाविद्यालय में विभिन्न विश्वविद्यालय जैसे- नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिसट्रेशन, इग्नू, जी0बी0 पन्त यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, वनस्थली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, सी0सी0एस0 यूनिवर्सिटी आदि के जाने-माने प्रतिष्ठित प्रोफेसर विशेष व्याख्यान के लिये समय-समय पर आंमत्रित किये जाते हैं।

महाविद्यालय में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से अनेक प्रदर्शनी, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में अनेक छात्र सहायता सेवाएं जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, शोधकक्ष, ई-लर्निंग केन्द्र, निर्देशन एवं परामर्श केन्द्र, समस्या समाधान समिति आदि छात्राओं के लिये कार्य करती हैं। निर्धन मेधावी छात्राओं के लिये आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति भी कालेज में प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में अनुभवी और उभरते हुए शिक्षकों की एक ऐसी टीम है, जो हर समय कालेज के उत्थान को तत्पर रहती है।

यह महाविद्यालय महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण के सपने साकार करता है, जो कभी रानी भाग्यवती देवी जी ने देखे था। इस महाविद्यालय की स्थापना रानी जी के पुत्र पूर्व राज्यपाल पद्मविभूषण स्वर्गीय श्री धर्मवीरा जी द्वारा हुई थी। इस महाविद्यालय की बागडोर समाजसेवी व पूर्व राज्य तकनीकी मंत्री स्वर्गीय श्री कुवँर सत्यवीरा जी एवं स्वर्गीय श्री इन्दु वीरा जी ने सँभाली। वीरा चेरिटेबिल सोसायटी व महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के योग्य एवं कुशल निर्देशन में महाविद्यालय योग्यता एवं कुशलता का केन्द्र बन रहा है। मुझे अपने महाविद्यालय पर गर्व है, जो मात्र 14 छात्राओं से 1971 में शुरू हुआ और सत्र 2015-16 में 3000 छात्राओं के आँकडे को पार कर चुका है। सत्र 2015-16 से बी.कॉम. तथा एम.एस.सी. गृहविज्ञान की कक्षायें प्रारम्भ हो चुकी है।

मुझे आशा है, कि इस महाविद्यालय की शिक्षिकाएँ, छात्राएँ तथा सभी कार्यकर्त्ता पूरी लगन, मेहनत समर्पण से इस प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे और इसकी आंतरिक गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि करेंगे।

डा० मंजुला कुमार

एम.ए., पीएच.डी.
डायरेक्टर (स्ववित्तपोषित)
रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय, बिजनौर

रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय भारतीय संस्कृति को पुष्ट करने वाला जनपद का एक श्रेष्ठ महाविद्यालय है जिसकी श्रेष्ठता का मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद के द्वारा सत्र 2010-2011 व 2011-12 में हो चुका है।

इस महाविद्यालय का उद्देश्य छात्राओं को न केवल भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत करना बल्कि चारित्रिक रूप से सुदृढ आत्म विश्वास से भरपूर व्यक्तित्व का निर्माण करना है। यहाँ से शिक्षित प्रशिक्षित छात्राएँ डिजिटल इन्डिया के स्वप्न को साकार करती हैं। पिछड़ा ग्रामीण व मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण इस महाविद्यालय की उपादेयता और भी बढ़ जाती है। अनुशासनबद्धता इस महाविद्यालय का विशिष्ट लक्षण है। यहाँ से अध्ययन करने के पश्चात ओज और ऊर्जायुक्त व्यक्तित्व का निर्माण कर तेजी से बदलते परिवेश की हर चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम होती है। "महिला सशक्त होगी, भारत सशक्त होगा।" इस मिशन को लेकर यह महाविद्यालय निरन्तर प्रयासरत है।

इस दृष्टि को ध्यान में रखकर महाविद्यालय के अनेक पाठ्यक्रम जैसे बी0सी0ए0, इन्टीरियर डिजाईनिंग, टैक्सटाइल डिजाईनिंग, बी0एस0सी0 गृहविज्ञान, एम0एस0सी0 गृहविज्ञान, मॉसकम्यूनिकेशन जर्नलिज्म एण्ड मीडिया टैक्नीक, बी0एड0 आदि संचालित किये जा रहे है। दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (इग्नू) के द्वारा भी दूर-दराज की छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है।

गुणवत्तापरक शिक्षण हेतु कम्प्यूटर लैब, फूड लैब, टैक्सटाइल लैब, लैंग्वेज लैब, ई-लाइब्रेरी व खेलों की समुचित व्यवस्था की गई है। योग्य व अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में छात्राएं विश्वविद्यालय में अपना स्थान बनाने के योग्य बनायी जाती है।

अभिभावक अपने पाल्यों को निश्चित प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेज सके इसके लिये बस सुविधा की व्यवस्था की जा रही है।

अन्ततः मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अपने पाल्यों को प्रतिदिन महाविद्यालय भेजकर हमारे मिशन को कामयाब होने में सहयोग प्रदान करें।

वीरा चैरिटेबिल सोसायटी

शिक्षा के क्षेत्र में यह सोसायटी निरन्तर कार्यरत एक प्रतिष्ठित सोसायटी है। सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. सुधाकर वीरा, वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्रशासक, सर गंगाराम हास्पिटल, नई दिल्ली तथा सचिव श्री उदयन वीरा, जिला पंचायत अध्यक्ष, बिजनौर के नेतृत्व व निर्देशन में यह सोसायटी 9 शिक्षण संस्थाओं, नर्सरी से लेकर इन्टरमीडिएट (हिन्दी व अंग्रेजी), पी0जी0 व इन्जीनियरिंग कॉलेज का सफल संचालन कर रही है।

महाविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य

1. महाविद्यालय की अनुभवी एवं सुशिक्षित शिक्षिकाओं द्वारा छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण, नयी शिक्षण तकनीकी के साथ उनका सर्वांगीण विकास करना।
2. शोध छात्राओं को विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार शोध निर्देशन प्रदान करना।
3. अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सहयोग, जागरूकता, जैसे नैतिक मूल्यों की स्थापना द्वारा छात्राओं का चारित्रिक विकास करना।
4. छात्राओं तथा पूर्व एवं वर्तमान में सेवारत शिक्षकों के लिये बी.एड. कार्यक्रम संस्थागत तथा पत्राचार माध्यम से प्रदान करना।
5. छात्रा सहायता सेवा के लिये निर्देशन एवं परामर्श सेवा केन्द्र, ई–लर्निंग सेन्टर, पुस्तकालय एवं वाचनालय तथा छात्रा समस्या निवारण इकाई की स्थापना करना।
6. छात्राओं तथा शिक्षिकाओं के अद्यतन शैक्षिक विकास के लिये संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ तथा अभिनवीकरण, विस्तार व्याख्यान तथा लघुकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
7. ज्वलंत विषयों जैसे–भाषा समस्या, जनसंख्या–विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण तथा एड्स महामारी आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन करना।
8. छात्राओं के शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा अध्यात्मिक विकास के लिये प्रतियोगितायें तथा कार्यक्रम आयोजित करना।
9. छात्राओं की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिये उन्हें प्रेरित तथा प्रोत्साहित करना।
10. छात्राओं में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिये सामाजिक एवं धर्म निरपेक्ष मूल्यों का विकास करना।
11. छात्राओं में समानता की भावना जागृत करने हेतु धनी–निर्धन, गाँव–नगर की दूरी को समाप्त करना।
12. छात्राओं को प्रेरणा देने के लिये महाविद्यालय में देश भक्ति, भ्रातृत्व, अधिकार एवं कर्तव्य भाव, जबावदेही की संस्कृति का विकास करना।
13. छात्राओं में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक ज्ञान तथा बोध का विकास करना।
14. प्रतिदिन प्रार्थना सभा में उद्बोधन एवं विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा छात्राओं को देश का जिम्मेदार, कर्त्तव्यनिष्ठ एवं जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देना।
15. छात्राओं में सृजनशील वैज्ञानिक सोच विकास के लिये प्रदर्शनी तथा विशेष व्याख्यान आयोजित करना।
16. छात्राओं के चरित्र निर्माण तथा जीवन की गुणवत्ता वृद्धि के लिये उनमें सशक्त मानव मूल्यों जैसे–स्व–अनुशासन, आत्मनिर्भरता, प्रेम, अहिंसा आदि का निर्माण करना।
17. सांस्कृतिक आदान–प्रदान के लिये नये अवसर प्रदान करना।
18. छात्र संघ, शिक्षक–अभिभावक समिति, भूतपूर्व छात्रा समिति आदि की आंतरिक गुणवत्ता सुधार समिति के साथ बैठक का आयोजन करना।

बिजनौर-एक परिचय

बिजनौर जनपद मेरठ, हरिद्वार, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर एवं ज्योतिबाफुले नगर आदि जनपदों से घिरा हुआ है। यह उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद–हरिद्वार रेलवे मार्ग पर स्थित है। बिजनौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में अग्रणी है। शिक्षा, साहित्य, विज्ञान एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में जनपद ने अनेक ख्याति प्राप्त महापुरूषों को जन्म दिया है। सम्पादकाचार्य स्व0 पं0 रूद्रदत्त शर्मा, सम्पादकाचार्य हरिदत्त शर्मा, बाबू सिंह चौहान (पत्रकारिता), पं0 पद्म सिंह शर्मा (साहित्य), कुर्तुल एन. हैदर (उर्दू साहित्य), डिप्टी नज़ीर अहमद (प्रथम उर्दू उपन्यासकार), अब्दुल रहमान बिजनौरी (प्रख्यात आलोचक), निश्तर ख़ानक़ाही (उर्दू–हिन्दी साहित्यकार), दुष्यंत कुमार त्यागी, (ग़ज़ल सम्राट), डॉ0 आत्मा राम (महान वैज्ञानिक) महाभारत सीरियल के सलाहकार श्री महावीर अधिकारी, सुभाष कश्यप (संसद सचिव), रज़िया ज़ैदी (हॉकी खिलाड़ी) आदि कुछ ऐसे नाम हैं जो स्वयं प्रकाशमान हैं और अपनी ज्योति से पूरे समाज को आलोकित करने में समर्थ हैं।

संस्था का परिचय

स्व0 धर्मवीर जी, स्व0 कुँवर कान्तिवीर जी एवं स्व0 कुँवर सत्यवीर जी ने अपनी पूजनीया माता जी के स्वप्नों को साकार करने के लिए रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर की नींव रखी। यह महिला महाविद्यालय मेरठ मार्ग पर स्थित है। यह स्थान सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त, हरियाली एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है। इसका शिलान्यास 1971 में आगरा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति माननीय शीतल प्रसाद जी के कर–कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। उस समय यह महाविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। वर्तमान में यह एम0जे0पी0 रुहलेखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध है। मात्र 14 छात्राओं से प्रारम्भ हुआ यह महाविद्यालय प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

वर्तमान में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर हिन्दी, अँग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, चित्रकला एवं संगीत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी, समाजशास्त्र (सरकार द्वारा अनुदानित) तथा गृह विज्ञान, चित्रकला, उर्दू, अंग्रेजी, तथा राजनीति शास्त्र (स्ववित्तपोषित के अन्तर्गत) में शिक्षण कार्य हो रहा है। सत्र 2007–08 से बी0एड0 संकाय में भी कक्षाएँ संचालित हैं। सत्र 2012–13 से बी.सी.ए. की कक्षाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं। सत्र 2015–16 से बी.कॉम. कक्षाएं भी महाविद्यालय में संचालित है। आगामी सत्र 2016–17 से एम.एड. तथा बीई एल.एड. की कक्षाओं की अनुमति मिलना सम्भावित है, साथ ही बी.ए. स्तर पर मनोविज्ञान व भूगोल की सम्बद्धता भी सम्भावित है।

शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए बी.एस–सी. होम साइंस के साथ–साथ 2015–16 से एम.एससी. गृह विज्ञान, फैशन डिजाइनिंग, टैक्सटाइल डिजाइनिंग, मूर्तिकला जैसे छमाही डिप्लोमा कोर्स एवं एक वर्षीय डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन एवं मीडिया टैक्नीक, पी.जी. डिप्लोमा इन टूरिज्म एवं ट्रैवल्स मैनेजमैन्ट, डिप्लोमा इन टैक्सटाइल डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजानिंग तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण जैसे अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं। अंग्रेजी में वार्तालाप करने की कला सिखाने के लिये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कक्षाएँ भी चल रहीं हैं।

महाविद्यालय के पास पर्याप्त भवन है जिसमें पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा व्याख्यान कक्षों की समुचित व्यवस्था है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु व्यवस्थित एवं पूर्णरूप से सुसज्जित एक विशाल और भव्य भवन भी है। महाविद्यालय में सुयोग्य शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी हैं। इसका प्रबन्धन कुशल प्रबंध समिति के हाथों में सुरक्षित है। कुशल प्रबन्धन एवं उत्तम शिक्षण के कारण यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है।

प्रयोगशाला

रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर में अनेक सुसज्जित प्रयोगशालायें जैसे–विज्ञान प्रयोगशाला, गृहविज्ञान प्रयोगशाला, टैक्सटाइल प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षा तकनीकी प्रयोगशाला, ड्राइंग एंड पेटिंग प्रयोगशाला, ई–लर्निग प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला इत्यादि छात्राओं के सर्वांगीण विकास एंव प्रायोगिक ज्ञान के लिये उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान, प्रबन्धतंत्र एवं अभिभावकों के सहयोग से निर्मित पुस्तकालय भवन है, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा के साथ सभी विषयों पर पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं। छात्राएँ घर पर भी बैठकर डिजिटल लाइब्रेरी से लाभ उठा सकती हैं। पुस्तकें छात्राओं को कम्प्यूटर के माध्यम से निर्गत की जाती हैं। महाविद्यालय में हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार–पत्र, पत्रिकाएं एवं शोध पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हैं और छात्राओं के लिये वाचनालय में पूरे दिन सुलभ रहती हैं। हमारे पुस्तकालय में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स हैं, जो छात्राओं के ज्ञान में वृद्धि करते हैं।

छात्रवृत्तियाँ

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक जाति एवं सामान्य जाति की छात्राओं को उपलब्ध कराई गई छात्रवृत्तियों का वितरण महाविद्यालय द्वारा कराया जाता है। इसके लिये छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन–पत्र ऑनलाइन कराकर उसकी हार्डकापी, जाति प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र (6 माह

की अवधि में बना) कार्यालय में समय पर जमा कराएँ एवं अपना बचत खाता पंजाब नेशनल बैंक के एक्सटेंशन काउंटर आर0बी0डी0 में खुलवाएँ तथा उसके प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति के साथ संलग्न करें। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं उर्दू अकादमी और संस्कृत अकादमी द्वारा मेधावी छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

युवा छात्राओं को ग्रामीण परिवेश से जोड़ने एंव समाज के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयाँ महाविद्यालय में कार्यरत हैं जिनमें सामान्य कार्यक्रम शिविर एवं विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है। विशेष शिविर के 10 अंक एवं सामान्य कार्यक्रम के 5 अंक अभ्यर्थी को प्राप्त होते हैं।

पुरस्कार, पदक एवं प्रमाण-पत्र

शिक्षा एवं शिक्षणेतर क्रियाकलापों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। वीरा चैरिटेबिल सोसायटी, बिजनौर द्वारा प्रतिवर्ष महाविद्यालय की सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा एवं महाविद्यालय की सर्वोत्तम खिलाड़ी को रजत पदक प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष जो छात्राएँ कक्षा में नियमित उपस्थित रहेंगी व सदैव यूनिफार्म में आएँगी तथा पूर्णतया अनुशासित होंगी, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। सभी विषयों की सभी कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। विविध शिक्षणेत्तर गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ छात्राओं को पुरस्कृत किया जायेगा।

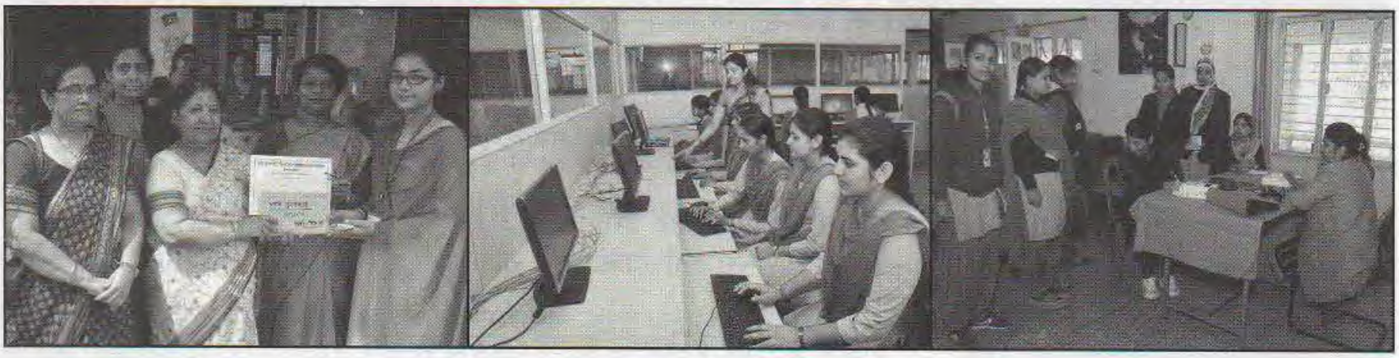

सेमिनार, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएं

महाविद्यालय में उच्च शैक्षिक वातावरण निर्माण हेतु समय-समय पर स्थानीय, जनपदीय, विश्वविद्यालयी एवं अन्तर विश्वविद्यालयी स्तर पर सेमिनार, संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

चिकित्सा सुविधा

महाविद्यालय की छात्राओं के लिए चिकित्सा सुविधा हेतु एक हैल्थ केयर यूनिट है जिसमें समय-समय पर योग्य चिकित्सों द्वारा छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। प्रत्येक छात्रा को मेडिकल कार्ड बनवाना अनिवार्य है। जिसमें उसकी ऊँचाई, वजन, ब्लड ग्रुप आदि का विवरण अंकित होगा। शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्राओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयीं है। छात्राएं प्रवेश शुल्क जमा करने के साथ हीं मैडिकल कार्ड प्राप्त कर शारीरिक शिक्षा विभाग में हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।

पार्किंग

वाहन से आने वाली छात्राओं के लिए पार्किंग की सुविधा है। सभी संस्थागत छात्राओं को अपना वाहन महाविद्यालय में निर्धारित स्थल पर खड़ा करना अनिवार्य है।

परिषद एवं क्रियाकलाप

महाविद्यालय में छात्राओं में अभिरूचियों को विकसित करने हेतु परिषद (विषयवार) का गठन किया जाता है जैसे हिन्दी साहित्य परिषद, संस्कृत परिषद, आंग्ल भाषा परिषद, समाजशास्त्र परिषद, राजनीति विज्ञान परिषद, गृहविज्ञान परिषद, चित्रकला परिषद,

उर्दू परिषद जिसमें सम्बन्धित विषय के सभी विद्यार्थी परिषद के सदस्य होते हैं। प्रत्येक परिषद अपने से सम्बन्धित विषयों पर भाषण, वाद-विवाद, निबन्ध प्रतियोगिताओं एवं विचार-गोष्ठियों आदि का आयोजन करती है।

अनुशासन समिति

महाविद्यालय का उद्देश्य छात्राओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए एक अनुशासन प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। इसी के अन्तर्गत छात्राओं के स्तर पर चीफ प्रीफैक्ट्स व प्रीफैक्ट्स का चुनाव किया जाता है।

छात्रा-समस्या निवारण समिति

महाविद्यालय में छात्राओं की समस्याओं के निवारण हेतु समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय के शिक्षण एवं प्रशासन से संबंधित सभी शिकायतों पर विचार कर उनका त्वरित एवं समुचित निवारण सुनिश्चित करना है।

विविध समितियाँ

महाविद्यालय पत्रिका समिति-महाविद्यालय में विभागीय पत्रिकाओं का प्रकाशन निरन्तर होता रहा है। इसके साथ ही महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन भी यथासमय होता है, जिसमें प्रवक्ताओं एवं छात्राओं के लेख, कहानी, कविताएँ आदि प्रकाशित होते हैं। इसका सम्पादन पत्रिका समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रवक्ताओं के साथ-साथ छात्राएँ भी सम्मिलित होती है। महाविद्यालय द्वारा अर्द्धवार्षिक बुलेटिन का प्रकाशन भी किया जाता है, जिसमे महाविद्यालय की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रकाशन किया जाता है। इसके सम्पादन हेतु समिति गठित की गयी है।

पुरातन छात्रा समिति-महाविद्यालय में पुरातन छात्राओं की समिति का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य भूतपूर्व छात्राओं और वर्तमान छात्राओं तथा महाविद्यालय प्रशासन के मध्य निरन्तर सम्पर्क एवं अद्यावधि उपलब्ध जानकारियों से परिचय कराना है।

शोध-समिति-महाविद्यालय के स्नातक एवं सभी स्नातकोत्तर विभागों में अनुसंधान एवं योजनाओं के विस्तार हेतु एक शोध-समिति का गठन किया गया है। शोध-सम्बन्धी परामर्श देना, तत्सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी कराना एवं छात्राओं में अनुसंधान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

शैक्षिक नवाचार समिति-महाविद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता में निरन्तर सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया है। जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों का अधुनातन शैक्षिक प्रणालियों से परिचय कराना है।

सांस्कृतिक समिति-महाविद्यालय में सांस्कृतिक समिति का गठन किया गया है, जिसके संयोजन में वर्ष भर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्राओं का बहुमुखी विकास कर उनमें सांस्कृतिक चेतना जागृत करना है।

छात्रा-अभिभावक समिति-छात्राओं की समस्या व आवश्यकता को जानने हेतु शिक्षित एवं गणमान्य अभिभावकों की समिति का गठन किया जाता है।

अन्य समितियाँ-महाविद्यालय में प्रशासन, शिक्षण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया है जिनमें समय-सारिणी, पुस्तकालय-व्यवस्था, वित्त-व्यवस्था, कार्यशाला-आयोजन, सामान्य सूचना, विवरण पत्रिका, प्रशासनिक संबंधी आदि समितियाँ सम्मिलित हैं।

करियर गाइडेन्स एण्ड प्लेसमेंट सेल

महाविद्यालय में करियर गाइडेन्स एण्ड प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से छात्राओं को भावी शिक्षा और व्यावसायिक अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। छात्राओं को शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में उपयुक्त अवसरों की जानकारी देने के साथ ही रोजगार भी प्रदान कराया जाता है।

आन्तरिक मूल्यांकन

महाविद्यालय में छात्राओं की परीक्षा विषयक सम्यक तैयारी हेतु प्रतिमाह यूनिट टेस्ट व जनवरी माह में आन्तरिक परीक्षाएं संचालित की जाती हैं। यूनिट टेस्ट के बाद उपचारात्मक कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं।

महाविद्यालय के विभिन्न विभाग

हिन्दी विभाग

महाविद्यालय के स्थापना वर्ष से ही अस्तित्व में आए हिन्दी विभाग का उद्देश्य भाषा और साहित्य के माध्यम से सौन्दर्य बोधक व्यावहारिक व नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। स्नातक स्तर पर ऐच्छिक व मूलभूत पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से विभाग विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का एक सशक्त मंच प्रदान कर रहा है, जिसके अंतर्गत कई संगोष्ठियाँ भी आयोजित की जाती हैं। विभाग में राष्ट्रीय ख्याति के कई साहित्यकारों कुँवर बैचेन, नरेन्द्र मोहन, अशोक वाजपेयी आदि को समय–समय पर आमंत्रित किया जाता रहा है। हिन्दी साहित्य परिषद हिन्दी दिवस तथा राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर विभिन्न नाटक, कवि सम्मेलन तथा भारतीय साहित्य के प्रख्यात विद्वानों के व्याख्यान आयोजित करती है। प्रतिवर्ष हिन्दी में मौलिक लेखन हेतु प्रतिभावान छात्रा को श्री कृष्णचन्द्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विभाग शोधकेन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। 26 शोधकर्त्ता शोध उपाधि प्राप्त कर चुके है।

समाजशास्त्र विभाग

महाविद्यालय की सम्बद्धता के समय से ही यह विभाग स्थापित है। स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के साथ ही यह विभाग विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है 25 से अधिक शोधार्थियों ने महिला अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र, राजनैतिक समाजशास्त्र तथा सामयिक सामाजिक मुद्दों पर शोधकार्य किया है। विभाग की शिक्षिकाएँ विश्वविद्यालय में भी अनेक समितियों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। विभाग द्वारा यू.जी.सी. द्वारा अनुदानित एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट भी पूरा किया जा चुका है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं समाजशास्त्र विषयक अभिवृत्ति विकसित करने हेतु अनेक प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं एवं सर्वेक्षण आदि का आयोजन कराया जाता है।

संस्कृत विभाग

इस विभाग से कई ख्याति प्राप्त विद्वानों की सम्बद्धता रही है। लौकिक एवं वैदिक संस्कृत साहित्य अध्ययन पाठ्यक्रम चलाया जाता है। विभाग में उच्च स्तरीय शोध भी जारी है। वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य, काव्य और नाटक विषयक अनुसंधान विभाग में चल रहे हैं। यह संभवतया संस्कृत शिक्षा की वैज्ञानिकता का प्रमाण है कि इस विभाग की छात्राओं ने सम्मान सहित अंक प्राप्त किये हैं। विभाग में समय–समय पर संगोष्ठियाँ व कार्यशालाएँ आयोजित होती रहती हैं। मेधावी छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्राप्त होती है।

उर्दू विभाग

महाविद्यालय में उर्दू विभाग की स्थापना सन् 1971 में बिजनौर जनपद में पहली बार हुई। इस स्थापना का उद्देश्य जिले में बहुतायत में प्रयोग होने वाली उर्दू भाषा की शिक्षा प्रदान करना है। विभाग उर्दू साहित्य और भाषा के निरंतर विकास में लगा हुआ है। इसके लिये समय–समय पर उर्दू पत्रिका प्रकाशन, मुशायरा आदि संचालित किये जाते है।

अंग्रेजी विभाग

अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसके ज्ञान के बिना आज के युग में प्रगति संभव नहीं है। अंग्रेजी विभाग की स्थापना भी महाविद्यालय के साथ–साथ ही हुई थी। महाविद्यालय में आने वाली अधिकाँश छात्राएं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं ऐसे में विभाग का प्रमुख उद्देश्य छात्राओं की अंग्रेजी भाषा पर मजबूत पकड़ बनाना है जिससे वे व्यावसायिक प्रगति की ओर बढ़ सकें। विभाग अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण रूप से समर्पित है।

राजनीति शास्त्र विभाग

विभाग में राजनीति शास्त्र में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। पाठ्यक्रम विभिन्न राजनीतिक शास्त्र सिद्धान्त, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास पर आधारित हैं। विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक कौशल के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में विभिन्न मामलों पर तुलनात्मक दृष्टि विकसित करने के लिये प्रेरित किया जाता है।

इतिहास विभाग

महाविद्यालय में इतिहास विभाग में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित है। विभाग का उद्देश्य पुरातत्व वेत्ता, इतिहासकार, टूरिज्म के साथ ही विभिन्न संग्रहालयों में क्यूरेटर जैसी रोज़गार की अपार सम्भावनाओं वाले इस क्षेत्र में छात्राओं को नवीनतम ज्ञान प्रदान करना है।

अर्थशास्त्र विभाग

अर्थ जगत पुरातन काल से ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। निरन्तर बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच आर्थिक जगत असीमित अवसर प्रदान कर रहा है। महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित है। विभाग का उद्देश्य विषयगत ज्ञान के साथ ही छात्राओं को बैकिंग, फाइनेंस, प्रबन्धन, शेयर बाजार तथा बजट निर्माण आदि का प्रयोगात्मक परिचय प्रदान करना है।

गृहविज्ञान विभाग

गृहविज्ञान विभाग बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम चलाता है। जो गतिशील समाज में सफल गृह निर्माण की क्षमता और रूचि विकसित करने व व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता उत्पन्न करता है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को ऐसा ज्ञान व प्रशिक्षण प्रदान करना हैं जिससे वे आधुनिक समाज के संदर्भ में वैज्ञानिक तरीकों से सफल हो सकें। वर्तमान आवश्यकताओं और व्यावसायिक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में छात्राओं में ऐसी क्षमताओं का विकास किया जाता है जो उन्हें विभिन्न मानवीय प्रणालियों, आहार, पोषण तथा पारिवारिक विषयों पर जानकारी देने में सक्षम हों। सत्र 2011–12 से बी.एससी. गृहविज्ञान का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ हो चुका है।

चित्रकला विभाग

चित्रकला विभाग निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। छात्राओं को मौलिक दृष्टि, स्वनिर्देशन, तकनीकी ज्ञान तथा सृजनात्मक ऊर्जा के लिये प्रेरित किया जाता है। स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न कला क्षेत्रों जैसे–ड्राइंग, डिजाइन, पोट्रेट, रंग संयोजन, जीवन अध्ययन, प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, कला के मूल तत्व, विश्व कला के इतिहास तथा सौंदर्यशास्त्र की जानकारी दी जाती है। विभाग में दुर्लभ, पारम्परिक तथा आधुनिक मूल कलाकृतियों का विशद् संग्रह है।

संगीत विभाग

वर्तमान में संगीत विभाग में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संगीत विभाग की विशेष प्रतिभागिता रहती है। विभिन्न अवसरों जैसे गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, बंसत पंचमी, गाँधी जयंती आदि पर अनकों कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

शारीरिक शिक्षा विभाग

शारीरिक शिक्षा तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय है। इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य छात्राओं को शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे वे विषय में कैरियर बना सकें। विभाग विभिन्न खेल प्रतियोगितायें आयोजित करता रहता है तथा राज्य व राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर भी आयोजित किया जाता हैं। इसके तत्वाधान में योगा शिविरों का आयोजन भी किया जाता है।

पर्यावरण शिक्षा विभाग

ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई, पहले जल बनाया, प्रकृति बनाई, जीव–जन्तु बनाये फिर उसने इंसान बनाया। प्रकृति और मानव का साथ ऐसा है, जैसे दिल से धड़कन का। मनुष्य ने प्रकृति के विरूद्ध संघर्ष किया, मित्र और सहयोगी बनकर अपनी आवश्यकताएँ पूरी की जिससे आज पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा गया है। यह विभाग छात्राओं को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिये प्रयासरत है। पर्यावरण शिक्षा, अनिवार्य विषय है जिसे बी.ए. की डिग्री प्राप्त करने के लिए पास करना अनिवार्य है।

बी.सी.ए. विभाग

वर्तमान युग में कम्प्यूटर की महत्ता को देखते हुए महाविद्यालय में वर्ष 2012 से बी.सी.ए. का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत छात्राओं को वैश्वीकरण के युग में व्यवसायिक रूप से सक्षम बनाना है। विभाग द्वारा छात्राओं को इंटरनेट, डिजीटल लाइब्रेरी, कम्प्यूटर लैब की सुविधा के साथ ही समय–समय पर क्विज कम्पटीशन व संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। विभाग में अर्द्धवार्षिक व वार्षिक डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित है।

वाणिज्य विभाग

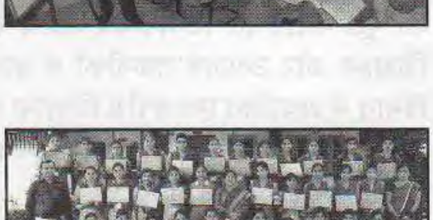

महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग की स्थापना जुलाई 2015 में हुई। हमारा उद्देश्य छात्राओं के सर्वागिंण विकास के साथ–साथ वाणिज्य एवं लेखाविधि कौशल का विकास करना है। यहाँ छात्राओं को प्राथमिक कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जाती है तथा वाणिज्य विषय के गहन अध्यन के द्वारा छात्राओं को विभिन्न स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार किया जाता है।

अध्यापक शिक्षा विभाग

समाज का निर्माण शिक्षकों पर व शिक्षकों का निर्माण प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भविष्य के अनुरूप योग्य महिला शिक्षिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से महाविद्यालय में वर्ष 2007 में शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। विभाग में कैम्पस के प्लेसमेंट के द्वारा प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत छात्राओं का चयन होता है। शत–प्रतिशत छात्राएं रोजगार प्राप्त करने में सफल होती है। इसके अतिरिक्त पुरातन छात्रा संघ भी सक्रिय है जिसके अन्तर्गत छात्राओं द्वारा 'संचार' पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। पुरातन छात्रा पुस्तकालय भी संचालित है। भाषा प्रयोगशाला व डिजिटल लर्निंग में भी छात्राओं को पारंगत किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर सुधार की दृष्टि से यह विभाग अपने प्रारम्भिक काल से ही प्रयत्नशील है।

मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एण्ड मीडिया टैक्नीक विभाग

प्रतिस्पर्धा के दौर में भीड़ से अलग पहचान बनाने में मीडिया का क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ रहा है। विभाग में एक वर्षीय पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित है। विभाग छात्राओं को विषयात्मक, प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान करने के साथ ही कार्यक्षेत्र में उन्हें स्वावलम्बी बनाने की दिशा में अनेक प्रयास कर रहा है। इस विभाग की छात्रायें महाविद्यालय के हर उत्सव, समारोह में अपनी मासकॉम तकनीक और धारा प्रवाही भाषणों से एक नयी जान डाल देतीं हैं। विभाग की छात्राएँ आकाशवाणी, विभिन्न समाचार पत्र–पत्रिकाओं तथा प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स में अपनी सेवायें दे रहीं हैं। विभाग में उपलब्ध अत्याधुनिक स्टूडियो तथा मीडिया उपकरणों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक तकनीकी गुणवत्ता प्रदान की जाती है।

इन्टीरियर डिजाइनिंग विभाग

बढ़ती जनसंख्या और मंगाई के बीच लोगों की व्यवस्थित, सुन्दर और सुरुचि पूर्ण ढंग से रहने की आकांक्षा भी बढ़ी है। कम स्थान में सुविधापूर्वक रहने के विकल्प इन्टीरियर डिजाइनिंग से मिलते हैं। गृह सज्जा के प्रति बढ़ती जागरुकता में इस क्षेत्र में असीमित अवसरों को जन्म दिया है। यह कलात्मक व तकनीकी गुणों का सम्मिश्रित क्षेत्र है। विभाग में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित है जिसका उद्देश्य छात्राओं की सृजनात्मकता को तराश कर उत्कृष्ट इन्टीरियर डिजाईनर के रूप में स्थापित करना है।

टैक्सटाइल डिजाइनिंग विभाग

टैक्सटाइल डिजाइनिंग तेजी से उभरता क्षेत्र है जो मानव जीवन के विविध प्रयोजनों को पूरा करता है। विभाग का उद्देश्य रंग, कपड़े और बनावट के साथ प्रयोग कर नये डिजाइन और उत्पादन तकनीकों व वस्त्र प्रौद्योगिकी का अद्यतन ज्ञान प्रदान करना है। विभाग में संचालित एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के माध्यम से अपार सम्भावनाओं से भरे इस क्षेत्र के लिये प्रोफेशनल्स तैयार करना है जो निपुणता के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों।

अध्यापन के विषय

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित समस्त विषय तथा पी.जी. डिप्लोमा व डिप्लोमा कोर्स सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हैं।

स्नातक स्तर पर– बी.ए. (त्रिवर्षीय कोर्स)

अनिवार्य विषय

(अ) सामान्य हिन्दी अथवा सामान्य अंग्रेजी–बी.ए. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष

(ब) पर्यावरण–बी.ए. प्रथम वर्ष

(स) शारीरिक शिक्षा–बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

वैकल्पिक विषय

वित्तपोषित विषयः–हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, चित्रकला, उर्दू, संस्कृत व संगीत,

स्ववित्त पोषितः–इतिहास, अर्थशास्त्र

स्नातक स्तर पर अन्य कोर्स

त्रिवर्षीय कोर्सः बी.कॉम., बी.एससी. (गृहविज्ञान), बी.सी.ए. द्विवर्षीय कोर्स : बी.एड.

स्नातकोत्तर स्तर पर विषय – एम.ए.

वित्तपोषित विषय (सरकार द्वारा अनुदानित):–हिन्दी, समाजशास्त्र

स्ववित्तपोषित (स्थायी सम्बद्धता प्राप्त):–राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, चित्रकला, उर्दू एवं अंग्रेजी

एम.एस.सी. (गृहविज्ञान)

एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त)

1. पी.जी. डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एण्ड मीडिया टैक्नीक
2. डिप्लोमा इन इन्टीरियर डिजाइनिंग
3. डिप्लोमा इन टैक्सटाइल डिजाइनिंग

सर्टिफिकेट कोर्सः

कम्प्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, कढ़ाई–सिलाई, ब्यूटिशियन, मूर्तिकला

प्रत्येक छात्रा के लिए कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

छात्राओं के लिए महत्त्वपूर्ण निर्देशः

साहित्य के चारों विषय (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू) में छात्रा के पास पाठ्य पुस्तकों का होना अनिवार्य है। अतः इन विषयों का चयन करने वाली छात्राएं प्रवेश फार्म पर प्रवेश समिति के हस्ताक्षर कराने के लिये इन विषयों की पाठ्य पुस्तकें साथ लेकर आयें।

दूरस्थ शिक्षा का केन्द्र (इग्नू)

महाविद्यालय इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का दूरस्थ शिक्षा का अध्ययन केन्द्र भी है, जहाँ पत्राचार के माध्यम से शिक्षण किया जाता है। इग्नू के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में बी.ए. स्तर तथा एम.ए. स्तर पर महाविद्यालय की छात्राएँ संस्थागत कोर्स करते हुए भी (एक साथ दो कोर्स) कर सकती हैं। महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की सूची निम्न प्रकार है:–

पाठ्यक्रम		शुल्क	
स्नातक ग्रेजुएट (स्तर पर)			
1.	स्नातक उपाधि प्रारम्भिक कार्यक्रम (बी.पी.पी.)	रु0 1000.00	(6 माह)
2.	कला स्नातक (बी.ए.) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम	रु0 2000.00	(प्रथम वर्ष)
		रु0 2000.00	(द्वितीय वर्ष)
		रु0 2000.00	(तृतीय वर्ष)
3.	वाणिज्य स्नातक (बी.काम.) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम	रु0 2000.00	(प्रथम वर्ष)
		रु0 2000.00	(द्वितीय वर्ष)
		रु0 2000.00	(तृतीय वर्ष)
4.	सामाजिक कार्य में स्नातक (बी.एस.डब्लू.) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम	रु0 4000.00	(प्रथम वर्ष)
		रु0 4000.00	(द्वितीय वर्ष)
		रु0 4000.00	(तृतीय वर्ष)
5.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.एल.आई.एस.)	रु0 5000.00	(एक वर्ष)
	स्नातकोत्तर (पी.जी.) स्तर पर		
1.	एम.ए. हिन्दी (एम.एच.डी.) द्वितीय वर्ष	रु0 4500.00	(प्रथम वर्ष)
		रु0 4500.00	(द्वितीय वर्ष)
2.	एम.ए. लोक प्रशासन (एम.पी.एस.)	रु0 4500.00	(प्रथम वर्ष)
		रु0 4500.00	(द्वितीय वर्ष)
3.	एम.एससी. परामर्श एवं परिवार उपचार (सी.एफ.टी)	रु0 14 ,000.00	(प्रथम वर्ष)
		रु0 14 ,000.00	(द्वितीय वर्ष)
4.	एम.ए. अर्थशास्त्र (एम.ई.सी.)	रु0 6000.00	(प्रथम वर्ष)
		रु0 6000.00	(द्वितीय वर्ष)
5.	एम.ए. ग्राम विकास (एम.ए.आर.डी.)	रु0 4500.00	(प्रथम वर्ष)
		रु0 4500.00	(द्वितीय वर्ष)
6.	एम.कॉम द्वितीय वर्षीय	रु0 5500.00	(प्रथम वर्ष)
		रु0 5500.00	(द्वितीय वर्ष)
7.	एम.ए. इतिहास (एम.ए.एच.)	रु0 4500.00	(प्रथम वर्ष)
		रु0 4500.00	(द्वितीय वर्ष)
डिप्लोमा कार्यक्रम के अन्तर्गत			
1.	जर्नलिज्म एवं मास कॉम में पी.जी. डिप्लोमा (पी.जी.जे.एम.सी.)	रु0 3500.00	(एक वर्ष)
1.	ग्राम विकास में पी.जी. डिप्लोमा (पी.जी.डी.आर.डी.)	रु0 2000.00	(एक वर्ष)
2.	महिला सशक्तीकरण एवं विकास में डिप्लोमा (डी.डब्लू.ई.डी.)	रु0 3000.00	(एक वर्ष)
3.	पोषण स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एन.एच.ई0)	रु0 2000.00	(एक वर्ष)
सर्टिफिकेट कार्यक्रम के अन्तर्गत			
1.	पर्यावरण अध्ययन में सर्टिफिकेट (सी.ई.एस.)	रु0 2000.00	(6 माह)
2.	भोजन एवं पोषण में सर्टिफिकेट (सी.एफ.एन.)	रु0 1100.00	(6 माह)
3.	मानव अधिकार में सर्टिफिकेट (सी.एच.आर.)	रु0 2000.00	(6 माह)
4.	मार्गदर्शन में सर्टिफिकेट (सी.आई.जी.)	रु0 1100.00	(6 माह)
5.	इग्नू बी.एड.	–	(2 वर्षीय)

नोट:–महाविद्यालय में इग्नू के उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की कक्षाएँ रविवार के दिन प्रात:10 बजे से 2:00 बजे तक संचालित की जाती है।

प्रवेश के नियम

1. चार साहित्य (साहि0 हिन्दी, साहि0 अँग्रेजी, संस्कृत, उर्दू) में छात्राएं अधिकतम दो साहित्य ले सकती हैं।
2. तीन प्रयोगात्मक में से छात्राएं अधिकतम दो ही विषय ले सकती हैं।
3. विकलांग छात्राओं को विकलांग प्रमाण–पत्र जमा करने पर शारीरिक शिक्षा विषय लेना अनिवार्य नही होगा।
4. स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र विषय में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट स्तर पर 60% अंक अनिवार्य है।
5. स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य विषय में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट स्तर पर अंग्रेजी विषय में 45% अंक अनिवार्य है।
6. बी.ए. तृतीय वर्ष में सामान्य हिन्दी अथवा सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर अन्य तीन विषयों में से दो ही विषय चुने जा सकते हैं। बी.ए. तृतीय वर्ष में छात्रा एक विषय ऐसा अवश्य चुने, जिसमें वह एम.ए. करने की इच्छुक हो।
7. बी.ए. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी अपने विषयों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
8. प्रत्येक विषय में अधिकतम 200 छात्राओं को एवं गृह विज्ञान विषय में अधिकतम 250 छात्राओं को ही प्रवेश वरीयता सूची के आधार पर दिया जाएगा।
9. बी.ए. प्रथम वर्ष में पर्यावरण विषय लेना अनिवार्य है। प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में बी.ए.द्वितीय वर्ष में तथा द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होने पर तृतीय वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
10. बी.ए. द्वितीय वर्ष में अँग्रेजी साहित्य में 45 प्रतिशत अंक लाने वाली इच्छुक छात्रा को ही बी.ए. तृतीय वर्ष में अँग्रेजी साहित्य दिया जायेगा। अंग्रेजी साहित्य के साथ इंगलिश स्पीकिंग कोर्स करना अनिवार्य है।
11. बी.ए. प्रथम वर्ष एवं एम.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने की इच्छुक छात्राओं को पूर्व की कक्षा के उत्तीर्ण वर्ष से तीन वर्ष से अधिक का अन्तराल होने पर प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
12. डिप्लोमा इन टैक्सटाइल तथा डिप्लोमा इन इन्टीरियर डिजाइनिंग में प्रवेश के लिए इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

नोटः डिप्लोमा से सम्बन्धित विषय के साथ इन्टरमीडिएट/समकक्ष उत्तीर्ण हो। नॉन स्ट्रीम योजना के अन्तर्गत उसे डिप्लोमा में सीधे प्रवेश दिया जा सकता है।

उपस्थिति सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाएं

1. प्रयोगात्मक विषय में उपस्थिति 75% होनी अनिवार्य है।
2. प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य है जिसकी सूचना विश्वविद्यालय एवं शासन को भेजी जाएगी।
3. 75% से कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसका उत्तरदायित्व स्वयं छात्रा का होगा।

प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रवेश हेतु आवश्यक नियम

1. विवरणिका को अच्छी तरह पढ़ने के उपरान्त यदि आप प्रवेश नियमों के अन्तर्गत अर्हता रखते हों तभी आप अपना आवेदन महाविद्यालय में जमा करें।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र (विवरण पत्रिका सहित) महाविद्यालय के कार्यालय से 500 रु. जमा करके दिनांक 10.06. 2016 से प्राप्त किए जा सकते हैं एवं फार्म सभी प्रमाणपत्रों के साथ भरकर 25.06.2016 तक जमा करना अनिवार्य है।
3. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को साफ–साफ भरकर स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (T.C) की मूल प्रति, हाईस्कूल एवं इन्टर परीक्षा की अंकतालिका, अंतिम संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति तथा अन्तराल की दशा में कुलसचिव के नाम शपथ–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र भारांक के लिए प्रमाण–पत्र तथा विकलांग की दशा में विकलांग होने का प्रमाणपत्र संलग्न कर निर्दिष्ट कार्यालय सहायक के पास निर्धारित तिथि और समय के अन्दर जमा कर दें। जिस कक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुल्क जमा किया है, उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। दूसरी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
4. बी.ए. प्रथम वर्ष में विषयों का आबंटन सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
5. यदि बी.ए. प्रथम वर्ष के किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने अंक पत्रों की सत्य प्रतिलिपि एवं माँगे गए अन्य प्रपत्र किसी कारणवश आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किए जाते हैं तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेगा।
6. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् कोई भी प्रवेश आवेदन पत्र जमा नहीं किया जाएगा।
7. योग्यता–सूची निर्गत होने के तुरन्त पश्चात् संबंधित प्रवेशार्थी प्रवेश समिति को मूल प्रमाण–पत्र दिखाकर संयोजक प्रवेश

समिति/प्राचार्या से हस्ताक्षर कराने के बाद तुरन्त निर्धारित अवधि में ही कुल शुल्क जमा करेंगे। निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने की स्थिति में उनका प्रवेश–अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा और प्रतीक्षा सूची में से यथानियम प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।

8. महाविद्यालय की द्वितीय, तृतीय एव एम.ए. उत्तरार्द्ध की कक्षाओं में प्रवेश की इच्छुक छात्राएँ पूर्व परीक्षा की अंकतालिका सहित निर्धारित तिथि तक अपना प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें।
9. प्रवेश फार्म जमा करने के साथ छात्राएं आई.कार्ड तथा मैडिकल कार्ड प्राप्त करें। आई. कार्ड भरकर चीफ प्रॉक्टर से हस्ताक्षर कराकर बैज प्राप्त करें। मैडिकल कार्ड शारीरिक शिक्षा विभाग में हस्ताक्षरित कराएँ।
10. छात्रवृत्ति की इच्छुक छात्राएं निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति फार्म आय प्रमाणपत्र के साथ आनलाईन व हार्ड कापी में जमा करें।
11. राष्ट्रीय सेवा योजना की इच्छुक छात्राएं 20 जुलाई से 25 जुलाई तक फार्म प्राप्त करें।

महत्वपूर्ण सूचनाएं

1. यदि छात्रा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित प्रवेश नियमों व मानकों के विपरीत प्रवेश प्राप्त कर लेती है या प्रवेश नियमों व मानकों के विपरीत प्रवेश समिति की भूल से उसे प्रवेश दे दिया जाता है तो उसकी जानकारी मिलने पर बिना किसी पूर्व सूचना के महाविद्यालय द्वारा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि इस कृत्य का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रवेश प्राप्त करने वाली छात्रा का होगा तथा प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में प्रवेश शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
2. बी.ए. प्रथम वर्ष एवं एम.ए. पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु छात्रा को प्रवेश समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत होना होगा तथा अपने सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र मूलरुप से दिखाने होंगे।
3. छात्रा को अपने आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ सही एवं स्पष्ट रूप से अंकित करनी होंगी। भ्रामक सूचनाएँ देने पर छात्रा के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
4. प्रवेश परीक्षा फार्म सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने के लिए छात्रा को नोटिस बोर्ड देखना होगा। छात्रा को प्रवेश परीक्षा फार्म से सम्बन्धित सूचना नोटिस बोर्ड पर ही दी जाएगी। सूचना के अभाव में यदि किसी छात्रा को कोई हानि पहुँचती है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगी।

प्रत्येक छात्रा को प्रतिदिन नोटिस बोर्ड देखना अनिवार्य है।

कार्यालय से सम्बन्धित सूचनाएं–

5. परीक्षा फार्म अथवा किसी भी प्रकार का शुल्क कार्यालय में जमा करने पर छात्रा रसीद अवश्य प्राप्त कर ले। छात्रा स्वंय परीक्षा फार्म एवं प्रवेश शुल्क कार्यालय में जमा करेंगी।
6. कार्यालय से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए दोपहर 1 बजे के पश्चात् ही सम्पर्क किया जाए।
7. कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड की सूचना के अनुसार ही कार्य के लिए निर्देशित कर्मचारी से सम्पर्क करें।

शुल्क विवरण

प्रवेश शुल्क का विवरण :

(1)	व्यवस्था निधि शुल्क	रु. वार्षिक
1.	प्रवेश शुल्क	3.00
2.	प्रवेश पंजीकरण शुल्क	1.00
3.	मँहगाई शुल्क	42.00
4.	चित्रकला	240.00
5.	गृहविज्ञान	240.00
6.	संगीत	240.00
7.	पंखा	300.00
(2)	छात्र निधि	
1.	पुस्तकालय शुल्क	100.00
2.	पत्रिका	80.00
3.	चिकित्सा	24.00

4.	गृह परीक्षा	75.00
5.	पुस्तकालय सुरक्षित धनराशि	15.00
6.	बी.ए. की वि.वि. परीक्षा शुल्क (बिना प्रयोगात्मक)	800.00
7.	बी.ए. की वि.वि. परीक्षा शुल्क (प्रयोगात्मक सहित)	1000.00
8.	एम.ए. पूर्वार्द्ध की वि.वि. परीक्षा शुल्क	1000.00
9.	एम.ए. उत्तरार्द्ध की वि.वि. परीक्षा शुल्क (मौखिकी सहित)	1200.00
10.	उपाधि शुल्क	300.00
11.	वाचनालय	40.00
12.	क्रीड़ा	150.00
13.	परिचय पत्र	20.00
14.	छात्र परिषद्	20.00
15.	छात्र कल्याण	40.00
15.	वार्षिकोत्सव	100.00
17.	विविध शुल्क	50.00
18.	साईकिल स्टैण्ड शुल्क	100.00
19.	निर्धन छात्र	40.00
20.	नामांकन	200.00
21.	गृह विज्ञान/चित्रकला/संगीत भार	50.00

(3) विकास निधि

विकास शुल्क	50.00

कुल शुल्क

1. वित्तपोषित विषयों का शुल्क

स्नातक स्तर

	बी.ए. प्रथम	बी.ए. द्वितीय	बी.ए. तृतीय
1. बिना प्रयोगात्मक विषय	2250.00	2035.00	2335.00
2. एक प्रयोगात्मक विषय सहित	2740.00	2525.00	2825.00

स्नातकोत्तर स्तर

	रु.
1. पूर्वार्द्ध हिन्दी, समाजशास्त्र	2235.00
उत्तरार्द्ध हिन्दी, समाजशास्त्र	2735.00

नोटः– रु0 वि0वि0 एवं शासन के आदेशानुसार प्रवेश शुल्क आदि में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है। वित्तपोषित पाठ्यक्रम में परीक्षा शुल्क प्रवेश के समय ही लिया जाएगा। यदि कोई छात्रा सत्र के दौरान 15 सितम्बर से पूर्व कालेज छोड़ने की सूचना नहीं देती है और उसने कॉलेज की एक भी कक्षा में उपस्थिति नहीं दी है तो उसका शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में परीक्षा शुल्क फार्म भरने के समय लिया जायेगा।

बी.ए. प्रथम वर्ष तथा बी.कॉम प्रथम वर्ष की छात्राओं से कम्प्यूटर प्रशिक्षण शुल्क 500/–

अन्य शुल्क

1.	चिकित्सा कार्ड शुल्क	20.00
2.	स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र–शुल्क	10.00
3.	चरित्र प्रमाण–पत्र–शुल्क	10.00
4.	लघु शोध प्रबन्ध–शुल्क	100.00
5.	पी.एच–डी रजिस्ट्रेशन एवं पुस्तकालय शुल्क	1250.00 + 250.00 (सुरक्षित धनराशि)

नोटः– (1) नामांकन शुल्क मात्र उन छात्राओं से लिया जायेगा जो पहली बार एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश लेंगी।

(2) यदि विश्वविद्यालय/शासन से कोई शुल्क बढ़ता है तो उसके अनुसार ही छात्रा से शुल्क लिया जायेगा।

प्रतिभूति धनराशि/छात्रवृत्ति/शुल्क मुक्ति

1. पुस्तकालय प्रतिभूति धनराशि महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्रा से एक बार ही ली जायेगी। गत वर्षो में जमा धनराशि की वापसी के लिए प्रत्येक सत्र में कार्यालय से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरकर 31 दिसम्बर तक कार्यालय में जमा करना होगा। धनराशि चैक द्वारा जून मास तक वापिस कर दी जायेगी। यदि कोई छात्रा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात् तक अपनी प्रतिभूति राशि वापिस लेने का आवेदन नहीं करती है तो यह राशि शासनादेश पत्रांक 5125/15.11.86.874 ए (45) 85, शिक्षा 11 अनुभाग दिनांक 10.06.1996 के अनुसार कालातीत मानी जाएगी।
2. छात्रवृत्ति फार्म प्रवेश लेने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। छात्रा को रु. 10 के स्टाम्प पर शपथ–पत्र देना होगा कि छात्रा ने एक ही छात्रवृत्ति का फार्म भरा है।

नोटः–बी.ए. स्तर, एम.ए. स्तर, बी.एस.सी. (गृह विज्ञान), एम.एस.सी. (गृह विज्ञान), बी.सी.ए., बी.कॉम. व बी.एड. की अनुसूचित जाति, सामान्य जाति, हिन्दु पिछडी जाति व अल्पसंख्यक (मुस्लिम) जाति की जिन छात्राओं के अभिभावकों की आय रु 2,00,000 (रु दो लाख मात्र) प्रतिवर्ष है, वे छात्राएं प्रवेश के तुरन्त बाद अपने–अपने छात्रवृति के फार्म ऑनलाइन करा लें व निर्धारित तिथियों में हार्ड कापी के साथ सम्बन्धित पत्राजात महाविद्यालय में जमा करें। अगर छात्रा के ऑनलाइन छात्रवृति फार्म में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है और उसको विभाग द्वारा छात्रवृति एवं शुल्क क्षतिपूर्ती नही मिलती तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं छात्रा का होगा। महाविद्यालय का कोई भी उत्तरदायित्व नही होगा।

3. शुल्क मुक्ति तथा निर्धन छात्र सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही कार्यालय से प्राप्त होंगे व जमा करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त होगी। शुल्क मुक्ति के आवेदनों पर शासन से प्राप्त आदेशों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

परिचय-पत्र/टी.सी./सी.सी.

1. महाविद्यालय में प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र पर यथास्थान अपना नवीनतम चित्र चिपकाकर सुरक्षित रखना होगा, जिसे महाविद्यालय के अधिकारी के माँगने पर प्रस्तुत करना होगा। बिना परिचय पत्र के महाविद्यालय परिसर में घूमना वर्जित है। जिन छात्राओं के पास परिचय पत्र नहीं होगा, उन्हें महाविद्यालय कार्यालय, पुस्तकालय, क्रीड़ा विभाग द्वारा विविध सुविधाएँ दिए जाने में मना किया जा सकता है। कक्षा में प्रविष्ट छात्राओं को प्रवेश शुल्क जमा करने के तुरन्त बाद परिचय पत्र प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लेना अनिवार्य है। अपूर्ण परिचय पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। परिचय–पत्र के आधार पर सम्बन्धित प्राध्यापक अपनी व्याख्यान पंजिका में छात्रा का नाम अंकित कर सकेंगे। परिचय पत्र खो जाने पर रु0 50/– शुल्क जमा करके परिचय पत्र बनाया जा सकता है। छात्राएं प्रवेश शुल्क जमा करने के साथ ही परिचय पत्र संबंधित प्रवक्ता के पास जमा करें। सम्बन्धित प्रवक्ता का उल्लेख प्रोक्टर ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पर किया जायेगा।
2. कॉलेज से केवल एक बार ही चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी.सी. दिया जायेगा। टी.सी. व सी.सी. की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए शपथ–पत्र देना होगा।
3. चरित्र प्रमाण–पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना–पत्र चीफ प्रोक्टर से अग्रसारित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
4. कोई भी प्रमाण–पत्र कार्यालय में प्रार्थना–पत्र जमा करने के तीन दिन बाद ही मिल सकेगा।

सामान्य निर्देश

विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमावली में संशोधन यथारूप में मान्य होंगे।

1. प्रवेश के बाद बी.ए. प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं की प्रवेश बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें महाविद्यालय एवं समस्त विषयों से सम्बन्धित जानकारी दी जाएगी। बैठक में सभी छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।
2. शिक्षक–अभिभावक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें सभी अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. छात्राओं की महाविद्यालय में उपस्थिति प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक अनिवार्य होगी।
4. छात्राओं को सत्र में दिये कुल व्याख्यानों में से प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। प्रयोगशाला कार्य में भी 75

प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। यदि किसी छात्रा की उपस्थिति निश्चित प्रतिशत से कम होगी तो उसे विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं छात्रा का होगा।

5. छात्राओं को चाहिए कि वह आत्मानुशासन का पालन करें। विद्यालय के प्रांगण में शोरगुल करते हुए घूमना अध्ययन कक्षाओं के आसपास घूमना तथा बात करना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
6. महाविद्यालय की सम्पत्ति जैसे पुस्तक, फर्नीचर, भवन, और मैदान आदि को क्षति पहुँचाने पर अर्थदण्ड दिया जा सकता है।
7. छात्राओं से आशा की जाती है कि वे अपने गुरुजनों के प्रति शिष्टाचार एवं मर्यादापूर्वक व्यवहार करें।
8. छात्राएँ अपने व्यवहार, आचरण और वेशभूषा में स्वच्छता व शिष्टता को अपनाएँ। छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, सेमिनार, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें।
9. छात्राओं का महाविद्यालय के बैज एवं यूनिफार्म में आना तथा परिचय–पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। यदि छात्रा यूनिफार्म में नहीं आती है तो उसे आर्थिक दण्ड दिया जाएगा।
10. शारीरिक शिक्षा की प्रयोगात्मक कक्षाओं में ट्रैक सूट में रहना अनिवार्य है।
11. यदि कोई छात्रा सत्र के बीच महाविद्यालय छोड़ती है तो उसे महाविद्यालय छोड़ने की सूचना लिखित रूप में एक प्रार्थना–पत्र द्वारा प्राचार्या को देनी होगी।
12. छात्राएँ अपने वाहन अथवा साईकिल निर्धारित स्थल पर ही खड़ा करेंगी।
13. छात्राएँ अस्वस्थ होने पर प्रार्थना–पत्र देकर अवकाश लेंगी। 15 दिन से अधिक लम्बी बीमारी का मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगी।
14. मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियाँ तथा शुल्क आदि से सम्बन्धित अन्य सूचनाएँ समय–समय पर महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। अतः छात्राएँ प्रतिदिन सूचना–पट (नोटिस बोर्ड) अवश्य देखें। छात्राएँ परिचय–पत्र दिखाकर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित चिकित्सक से परामर्श ले सकती हैं।
15. समस्त संस्थागत छात्राएँ अपना विश्वविद्यालय का परीक्षा फार्म निश्चित समय में ऑनलाइन भरकर उसकी हार्डकापी निर्धारित संलग्नकों सहित जमा करें। ऐसा न करने पर वे परीक्षा में सम्मिलित न हो सकेंगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्रा को होगा।
16. प्रत्येक छात्रा परिचय–पत्र के साथ ही प्राचार्या से कार्यालय में सम्पर्क कर सकेंगी।
17. प्रवेश फार्म के साथ संलग्न दो पोस्टकार्डों पर टिकट लगाकर प्रत्येक छात्रा को अपना पता (कक्षा सहित) लिखकर प्रवेशफार्म के साथ जमा करना होगा।
18. महाविद्यालय में छात्राओं द्वारा **मोबाइल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है**। उपर्युक्त नियमों का पालन न करने की दशा में छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहलेखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
प्रवेश नियमावली (परिसर एवम् महाविद्यालयो के लिए)
खण्ड 'क'
शैक्षणिक सत्र 2016–2017

1. (क) विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता के अनुसार किया जायेगा।

(ख) प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 31.05.2014 में संकायाध्यक्षों की संस्तुति के आधार पर विज्ञान एवं कला संकाय के विषय संयोजन (Subject Combination) का अनुमोदन किया गया। विज्ञान संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित समूह बनाया गया।

(A) विज्ञान ग्रुप :

(क)	(ख)	(ग)
जन्तु विज्ञान	वनस्पति	रसायन विज्ञान
अथवा	अथवा	अथवा
इण्डिस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी	पर्यावरण विज्ञान	औद्योगिक रसायन
अथवा		अथवा
बायोटैक्नोलॉजी		सैन्य अध्ययन

(B) मैथ्स ग्रुप :

(क)	(ख)	(ग)
भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान	गणित
	अथवा	
	औद्योगिक रसायन	
	अथवा	
	सैन्य अध्ययन	

उक्त दोनों Groups के क,ख एवं ग में से अभ्यर्थी एक विषय का ही चयन कर सकता है।

कला संकाय के अन्तर्गत विषय संयोजन निम्नवत् होगा :–

(1) बी.ए. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में से एक विषय लेना अनिवार्य है।

(2) अभ्यर्थी अधिकतम दो साहित्यिक विषयों का चयन कर सकता है–
   (क) अरबी अथवा फारसी में से एक विषय।
   (ख) संस्कृत अथवा उर्दू में से एक विषय।
   (ग) अंग्रेजी साहित्य एवं हिन्दी साहित्य में से एक अथवा दोनों विषय।

(3) अभ्यर्थी महाविद्यालय में संचालित प्रायोगिक विषयों में से किन्ही दो विषय का चयन कर सकता है।

(4) अभ्यर्थी गणित अथवा सांख्यिकी में से एक विषय का चयन कर सकता है।

(5) अभ्यर्थी शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शनशास्त्र में से एक विषय का चयन कर सकता है।

(6) अभ्यर्थी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषय में से अधिकतम दो विषयों का चयन कर सकता है।

(7) अनिवार्य अर्हता विषय पर्यावरण की परीक्षा में प्रथम वर्ष में संस्थागत तथा द्वितीय वर्ष में व्यक्तिगत छात्र ही सम्मिलित हों। पर्यावरण विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित कराया जाये। तृतीय वर्ष के परीक्षा फार्म में छात्रों द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि वह पर्यावरण विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है।

2. डिग्री पाठयक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अर्हता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी। जैसा कि नीचे उल्लेख है।

3. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

(ख) जो विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में परीक्षा सुधार के हकदार हैं, उन्हें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में प्रोन्नति देकर प्रवेश की अन्तिम अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि वे लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। परन्तु यह नियम उस स्थिति में ही लागू होगा जब सुधार परीक्षा–मुख्य परीक्षा के साथ सम्पन्न हो।

(ग) 3(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल एल.एल.बी. सहित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू (प्रयोज्य) होगी।

(घ) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं

दिया जायेगा अर्थात पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्र अर्ह होना चाहिए।

4. (क) परीक्षार्थियों को बी.ए./बी.एस–सी./बी.काम./एल–एल–बी. (सेमेस्टर सिस्टम)/बी.बी.ए./बी.सी.ए. की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में, एम.ए./एम.एस–सी./एम.काम./एल.एल.एम/एम.बी.ए./पूर्णकालिक 4 वर्ष की अवधि में बी.एस–सी. (कृषि) एवं बी.टेक./बी.ई. पाठ्यक्रमों की परीक्षा 8 वर्ष की अवधि में और विधि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा 10 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जायेगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है या परीक्षा दी हो। यह नियम सत्र 2001–2002 से प्रभावी है।
(ख) यू.एफ.एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वे परीक्षा से वंचित होते है।
5. परीक्षार्थी को 4(क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण/पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
6. जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा के कारण अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रयोगों को पूर्ण करने के लिए भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रवेश की अनुमति होगी।
7. विद्यार्थी को किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि वह उस पाठ्यक्रम को पूर्ण नही कर लेता है जिसमें वह पहले से प्रवेश ले चुका है। अर्थात दो पाठ्यक्रम एक साथ करने की अनुमति नहीं होगी अर्थात् दोनों पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन करने का विकल्प परीक्षार्थी को होगा।
8. (अ) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पुनः अन्य किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नही होगा।
(ब) यदि कोई छात्र/छात्रा जिसने किसी भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह पाठ्यक्रम को पूर्ण किए बिना उसे अधूरा छोड़कर अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह मान्य नहीं होगा एवं छात्र/छात्रा के पूर्व के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं शुल्क नहीं होगा। परन्तु यदि कोई छात्र/छात्रा मात्र बी.एड. में प्रवेश पाता है तो उसे पूर्व के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।
9. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के चार्ट (भाग एक, दो अथवा तीन) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा, किन्तु विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह प्रवेश निम्न के अधीन होगा–
(क) सम्बन्धित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड ऑफ स्टडीज) के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तो को पूरा करना होगा।
(ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकेंगे।
(ग) यह नियम स्नातकोत्तर, प्रबन्धन, अभियान्त्रिकी कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।
10. जिन विद्यार्थियों ने अदीब/अदीब–ए–माहिर/अदीब–ए–कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) न होने पर स्नातक एवं (10+2+3) न होने पर परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह नही होंगे।
11. (क) जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
(ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जाएगा और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश/परीक्षा दे सकेंगे। एकल विषय में स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधिकतम पांच वर्ष के अन्तर्गत उत्तीर्ण करना होगा। यह नियम सत्र 2014–2015 से लागू होगा।
12. स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न है) के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की बाध्यता नहीं होगी।
13. बी.एड. (वोकेशनल), बी.एड. (स्पेशल), एम.एड./एप्लाईड एम.एड., एल.एल.बी., एम.एस.–सी./एल.एल.एम./बी.ई./बी.टेक./कक्षाओं में प्रवेश सम्मिलित प्रवेश परीक्षा के द्वारा होंगे। जब तक राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित न करें।
14. विश्वविद्यालय द्वारा यथाशीघ्र ही एक समतुल्यता समिति का गठन किया जायेगा जो अन्य संस्थानों द्वारा प्रदत्त उपाधियों के विवादों, परीक्षा प्रणाली, पत्राचार पाठ्यक्रम और अन्य समस्याओं का निस्तारण करेगी।
15. इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच.डी. के लिये पंजीकृत विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अन्य किसी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक अर्ह नहीं होंगे जब तक वह अपना शोध ग्रन्थ सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देते हैं तथा प्रवजन प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय में जमा नहीं करते।
16. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तक तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्यक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थिक, छात्रों का अहित आदि) के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
17. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उसको नियमित अर्थात संस्थागत छात्र के रूप में एल.एल.एम/एम.एड. को छोड़कर अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
18. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से अपेक्षित पात्रता–प्रमाण पत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह मंत्रालय,

भारत सरकार के निकासी प्रमाण सहित कालेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कालेज के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम मे प्रवेश नही दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों पर समान रूप से लागू होगा।

19. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में नहीं बैठता या विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुनः उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वह भूतपूर्व छात्र के रूप में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा।
स्पष्टीकरण– जो छात्र प्रवेश लेने के पश्चात अन्यत्र कहीं चला जाता है और परीक्षा फार्म आदि नहीं भरता है, वह अगले वर्ष भू.पू. छात्र के रूप मे तभी सम्मिलित होगा जब उसने संस्थागत छात्र के रूप में 75% उपस्थिति पूर्ण कर ली हो।

20. एम.एस.–सी (सभी विषय) एवं एम.ए. (गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान) में प्रवेश के लिये निम्न अतिरिक्त नियम निहित होगा।
(क) निर्धारित संख्या (स्वीकृत सीटों) से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अन्यथा महाविद्यालय तथा उसके प्राचार्य के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त उपयुक्त नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी.एस–सी. और बी.ए. परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45% से किसी भी दशा में कम न हो) और एम.एस–सी. / एम.ए. सम्बन्धित ऐच्छिक विषय जिसमें प्रवेश चाहता है उसमें 45% अंक होना चाहिये। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा) को नियमानुसार 5% प्राप्तकों की छूट होगी अर्थात उनके लिए 40% होगा।
(ग) छात्र एम.एस–सी, एम.ए. में प्रवेश के लिए उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम स्तर पर एक प्रमुख विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(घ) 1. एल.एल.बी. त्रिवर्षीय / एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए। एस.सी. / एस.टी. के छात्र / छात्राओं को 5% प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2. प्रवेश में शासनादेश के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण अनुमन्य होगा। सभी वर्गो में छात्राओं क 20% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बी.सी.आई.) द्वारा जारी चैप्टर–II स्टैन्डर्ड ऑफ प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन के रूल–10 का अनुपालन सभी महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
(च) मास्टर ऑफ लॉ (एल एल–एम.) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वे छात्र अर्ह होंगे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, की एल.एल.बी. डिग्री (त्रिवर्षीय) / एल.एल.बी. पाँच वर्षीय प्राप्त की हो। एल.एल.एम प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा।
(छ) एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के एक सेक्शन में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

21. (क) अनुचित साधनों का प्रयोग का प्रयास करने वाले छात्रों को, विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
(ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी अपराधिक मुदकमें में शमिल है, को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।
(ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते है, मना कर सकते हैं भले ही मामला जैसा भी हो।
(घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरूद्ध विद्यार्थियों के किए गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।
(ड़) जो विद्यार्थी प्राचार्य / प्रोक्टोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डागीरी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नही दिया जायेगा।

22. (क) बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय के द्वारा निहित प्रवेश के सामान्य नियम भी बी.एड. और एम.एड. के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।
स्पष्टीकरण: बी.एड. तथा एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जयपुर (एन सी.टी.ई) के निर्धारित नियम के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। यद्यपि विश्वविद्यालय के सामान्य प्रवेश नियम भी प्रभावी रहेंगे। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर वर्ष 198 अथवा उसके बाद 14 वर्षीय शिक्षा ग्रहण की है तो वह परास्नातक स्तर पर प्रवेश के अर्ह नहीं हैं। अर्थात् 11+3 या 10+2+2 या 10+1+3 ऐ छात्रों को एक वर्ष ब्रिजकोर्स निर्धारित पाठ्यक्रम में से करना होगा। जिन छात्रों ने वर्ष 1987 अथवा इससे पूर्व स्नातक परीक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्र से उत्तीर्ण की है उन्हें ब्रिजकोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों ने एक वर्ष का परास्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है उन्हें परास्नात के द्वितीय वर्ष के लिए ब्रिजकोर्स करना अनिवार्य नहीं है।
(ख) बी.एस–सी. (कृषि) के प्रथम में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। कृषि सहित इण्टरमीडिएट या इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान (बायोग्रु न्यूनतम योग्यता होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने इण्टरमीडिएट विज्ञान (गणित ग्रुप) से उत्तीर्ण किया है उनके प्रवेश पर भी विचार किया जाये लेकिन उनकी योग्यता का आगणन उनकी योग्यता सूची से 5 प्रतिशत अंक घटाकर किया जायेगा। **स्पष्टीकरण**– गणित विषय की यह श

व्यक्तिगत छात्रों पर भी लागू होगी।

(ग) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार यदि स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक नहीं हैं तो उसी स्ट्रीम में परास्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होंगे, तभी छात्र बी.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।

(घ) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक है किन्तु एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार यदि छात्र के स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक नहीं हैं तो बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम. वाले स्नातकोत्तर उपाधि में 50 प्रतिशत अंक अवश्य होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ही उत्तीर्ण होना चाहिये।

(ङ) बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता इण्टरमीडिएट गणित विषय होगी।

23. एम.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेशार्थी को बी.कॉम. परीक्षा 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार 50 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए./बी.एस-सी. अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में सहायक/गौण विषय के रूप में नहीं लिया है, को एम.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अभ्यर्थियो के बी.ए./बी.एस-सी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में सहायक/गौण विषय के रूप में नहीं लिया है, को एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने बी.ए./बी.एस-सी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यह नियम संस्थागत छात्रों पर ही लागू होगा। बी.काम. या एम.काम. में किसी प्रकार के डिप्लोमा चाहे वह बोर्ड ऑफ एजूकेशन, उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य बोर्ड से पास किया हो, के आधार पर छात्र प्रवेश का पात्र नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने वाले पूर्व के सभी निर्णयों को निरस्त माना जायेगा।

24. बी.बी.ए. और बी.सी.ए. विश्वविद्यालय के अन्य स्नातक उपाधियों के समतुल्य हैं। बी.बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.कॉम. और एम.ए. अर्थशास्त्र और बी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवोशार्थी एम.एस-सी. गणित और और कम्प्यूटर साइन्स में भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। बी.बी.ए./बी.सी.ए. का विद्यार्थी भी किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

25. बाहर के विश्वविद्यालय के एक उपवेशन (सिटिंग) में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए पात्र नहीं होंगे।

26. जिन विद्यार्थियों ने जामिया-उर्दू, अलीगढ़ से अबीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठयक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

27. जिन अभ्यर्थियों ने यू.पी. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। हाईस्कूल स्तर की परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों ने चाहे किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण की हो।

28. उ.प्र. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा इन्टर के समकक्ष मानते हुए स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।

29. जिन विद्यार्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा और शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे क्रमशः बी.ए. एवं एम.ए. संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे।

स्पष्टीकरण– सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी.एड. में प्रवेश हेतु अर्ह हैं। शिक्षण विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि में जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।

30. बाह्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिए नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपने ही स्ट्रीम में एकल विषय की परीक्षा दे सकते है।

31. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता। महाविद्यालय/विभाग परीक्षा फार्म अस्थायी/ अन्तिम रूप से प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फार्म पूर्व कक्षा/वर्ष के परीक्षा परिणाम को सत्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।

32. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, परीक्षा के माध्यम से होगा उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अर्थात् जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

33. प्रवेश समिति दिनांक 5/3/02 के बिन्दु सं0 6(1) के अन्तर्गत लिया गया निर्णय निम्नवत् है:-''सामान्य रूप से निश्चय किया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जाते हैं उनकी योग्यता सूची, मात्र प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही की जायेगी।''

34. बी.टेक., बी.फार्मा., उत्तीर्ण छात्र बी.एड. प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे किन्तु ऐसे छात्र बी.एस-सी उत्तीर्ण छात्रों की भांति स्नातकोत्तर कक्षा/एल.एल. बी. में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

खण्ड-'ख'

विशेष निर्देश:

1. धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे। (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)
2. (क) शासनादेश अनुरूप महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों में से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे छात्रावास में आरक्षित स्थान तब तक रखे जायेंगे जब तक प्रवेश की तिथि समाप्त न हो।

   (ख) विकंलाग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्ध में शहीद हुए रक्षाकर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार सम्बन्धित सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत मैरिट अथवा

महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त सीटों का न्यूनतम 20 प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण मान्य होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रवे
क्रमशः 3 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–विकलांगों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि/श्रवण ह्रास) एवं पालन निःशक्तता या प्रभास्तिकीय अंग घात के पृथक–पृथक एक प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाये।

(ग) यदि अनुसूचित जनजाति के छात्र प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं उनके रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के छात्रों से भरें जायेंगे यदि किस आरक्षित श्रेणी में सीटें रिक्त रहती है तो उसे सामान्य सीटें मानकर भरी जायेंगी। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो स्थाई रू उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। अन्य प्रदेश के छात्रों के लिए योग्यता (मेरिट) के आधार पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में केवल 5 प्रतिशत स्थान ही प्रवेश आरक्षित किये जायेंगे और बाहर प्रदेशों के सभी छात्र सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

3. विधि प्रवेश परीक्षा एवं एम.एस–सी. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को काउन्सिलिंग के आधार पर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए आबंटित होती है। अतः इनमें प्रदेश स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्राचार्य कोई अनापत्ति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेंगे। काउन्सिलिंग के आधा आबंटित सीटें एक संस्थान से दूसरी संस्थान में स्थानान्तरित नहीं होगी।

4. शासकीय सेवारत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को उनके पिता के स्थानान्तरण, छात्रा के विवाह, माता–पिता के स्वर्गवास की स्थिति में अ निवास में रहने हेतु अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्थानान्तरण के आधार अनुमन्य होगा।

5. प्रवेश के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट) तैयार की जायेगी। परीक्षार्थियों ने सत्र 2010–11 में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और उन्होंने स्नातक प्रथम वर्ष में (संस्थागत) जुलाई 2014 में परास्नात प्रवेश लिया है, उनके परीक्षा आवेदन पत्र 03 वर्ष से अधिक अन्तराल के आधार पर निरस्त नहीं किये जायेंगे। उन्हें सत्र 2014–2015 की परीक्षा में अनुमत किया जाये।

6. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जिसने 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश 10+2+3 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शोध कक्षाओं यथा एम.फिल. एवं पी.एच–डी. में प्रवेश हेतु भी छात्र का 10+2+3 के अन्तर्गत प्राप्त होना अनिवार्य है।

7. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची संलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में प्रति सेक्शन 60 छात्रों को ही प्रवेश जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय 60 के स्थान पर 80 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं या विषय की सम्बद्धता के प अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई प्र नहीं किया जायेगा।

8. प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे।

(अ) राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय, खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारांक	10 अंक
(ब) विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
(स) विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत् सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक
(द) एन.सी.सी. के "सी" प्रमाण पत्र अथवा "बी" प्रमाण पत्र "जी II" प्रमाण पत्र	10 अंक
और "बी" और "जी प्रथम" प्रमाण पत्र के लिये	05 अंक
(ड) एन.एस.एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक
एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें 240 घंटे अथवा 120 घंटे तथा एक शिविर	05 अंक
या	
12 वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक
या	
प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
रोवर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक

नोटः किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्य यथावत रहेगी–अर्थात भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी।

9. स्पोर्टस कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्र हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगी अर्थात् जहाँ प्रवेश परीक्षा माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

स्पष्टीकरणः बी.एड और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। बी.एड. व एम.ए तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर स्पोर्टस कोटा मान्य नहीं होगा।

10. परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अन्तिम वर्ष में

विषय चुने गये हों। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रोयोगिक परीक्षा को छोड़कर) तथा जिस विषय में प्रवेश चाहता है उसके अंक को सम्मिलित करते हुए योग्यता सूची तैयार की जायेगी। महाविद्यालय स्तर की तैयार की गयी योग्यता सूची एवं प्रतीक्षा सूची की एक प्रति विश्वविद्यालय भेजी जायेगी एवं एक प्रति महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी। जिन कक्षाओं में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा उन्हीं कक्षाओं में प्रवेश महाविद्यालय योग्यता सूची से करेगा।

बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश सामान्यतः उन छात्रों को दिये जायेंगे जिन्होंने इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) अथवा समतुल्य परीक्षा कॉमर्स से उत्तीर्ण की हो। बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 5 अंक उन छात्रों को प्रदान किये जायेंगे जिन्होंने इण्टरमीडिएट अथवा समतुल्य परीक्षा कॉमर्स से उत्तीर्ण की है। ऐसे छात्र जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि से उत्तीर्ण की है एवं बी.ए. में प्रवेश चाहते हैं उनके 5 अंक घटाकर योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा निर्धारित सीमा के अन्दर ही प्रवेश अनुमन्य किये जायेंगे।

11. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिए बिना कारण बताये प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति / प्राचार्य उसे निरस्त कर सकते हैं।
12. ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक की उपाधि अन्य किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो वह इस विश्वविद्यालय से एकल विषय ब्रिज कोर्स की परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगे।
13. एम.ए. कक्षा में 10 प्रतिशत सीटें नॉन–स्ट्रीम के लिए आरक्षित होंगी नॉन–स्ट्रीम के अन्तर्गत गणित, भूगोल, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे। एम.ए. नॉन स्ट्रीम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाणिज्य, विधि के स्नातक छात्र ही मान्य होंगे अर्थात बी.ए. उत्तीर्ण छात्र "नॉन स्ट्रीम" के अन्तर्गत नहीं आएगा। यदि किसी छात्र ने बी.ए. तृतीय वर्ष में अमुक विषय नहीं पढ़ा है तो वह अमुक विषय के लिए नॉन–स्ट्रीम नहीं होगा।
14. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात् सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क अप्रवासी भारतीय (NRI) शुल्क एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है तो वह उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानांतरण अनुमन्य नहीं होगा।
15. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम संविधिक निकाय, समिति / अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश दिया जाये।
16. स्ववित्त पोषित महाविद्यायों के छात्रों का स्थानांतरण राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में नही हो सकता है किन्तु राजकीय महाविद्यालय एंव सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में हो सकता है। स्थानान्तरण के लिए छात्र कारणों का उल्लेख करते हुए दोनो महाविद्यालयों के प्राचार्यो की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात् ही स्थानान्तरण अनुमन्य होंगे अन्यथा की स्थिति में गलत प्रवेश देने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय ऐसे स्थानान्तरित छात्र की परीक्षा सम्पन्न नहीं कराएगा।

    स्पष्टीकरणः– यदि कोई स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम राजकीय या सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है तो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के छात्र का स्थानान्तरण उपरोक्त महाविद्यालय में हो सकेगा।
17. विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध नियमों के अनुरूप किये जायेंगे।
18. डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु क्रमशः इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5% अंको की छूट होगी।
19. विश्वविद्यालयों में चल रहे विभिन्न विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में न्यूनतम प्रवेश संख्या 10 होगी। न्यूनतम प्रवेश संख्या पूर्ण न होने की स्थिति में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही अधिकतम प्रवेश संख्या 40 निर्धारित की जाती है, इससे अधिक प्रवेश किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होंगे।
20. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और वह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा। और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। यदि यह तथ्य छात्र छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
21. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.07.2013 को पूरक कार्यवृत्त सं0 4 पर लिये गये निर्णयानुसार इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) नई दिल्ली, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (यू0पी0आर0टी0ओ0यू0) इलाहाबाद एवं अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय जो ए0आई0यू0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में उल्लिखित है, उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं को प्रवेश / परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह माना जाये साथ ही निर्णय लिया गया कि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बी0पी0पी0 के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा से संबंधित छात्रों का प्रवेश / व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरवाने संबंधी कार्यवाही न की जाये।
22. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ 5–1 / 2008 (सीपीपी–11) दिनांक शून्य मई, 2009 के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी) (NITS) को भारत सरकार के अधिनियम एन.आई.टी.एक्ट 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। तद्नुसार उन्हें डिग्री देने हेतु अधिकृत किया गया है, इनसे प्राप्त उपाधि का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सकेगा। (प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 31.08.2012 द्वारा अनुमोदित)
23. प्रवेश नियमावली में जहाँ–जहाँ न्यूनतम अंको को योग्यता के लिए निर्धारित किया गया है उनमें कोई शिथिलिता प्रदान नहीं की जाएगी अर्थात यदि प्रवेश हेतु 45 प्रतिशत अंक मान्य हैं तो 44.9 प्रतिशत अंक मान्य नहीं होगा।

कुलसचिव

प्राध्यापक मण्डल

हिन्दी विभागः

1. डा. विदुषी भारद्वाज, एम.ए., पीएच.डी., एसो. प्रोफेसर (विभागाध्यक्षा) vidushi.bharadwaj@gmail.co
2. डा. सविता मिश्रा, एम.ए., पीएच.डी., डी.लिट्., एसो. प्रोफेसर dr.savitamishra64@gmail.cor
3. (2) अंशकालिक प्रवक्ता

समाजशास्त्र विभागः

1. डा. ज़किया रफत, एम.ए., बी.एड., पीएच.डी. dr.zakiyarafat@gmail.com
2. डा. मंजू चौधरी, एम.ए., बी.एड., पीएच.डी.
3. (2) अंशकालिक प्रवक्ता

संस्कृत विभागः

1. डा. सुस्मिता शर्मा, एम.ए. (संस्कृत, अंग्रेजी), पीएच.डी. (संस्कृत) डिप्लोमा मॉस काम्यूनिकेशन

उर्दू विभागः

1. डा. समीना बी, एम.ए., पीएच.डी., नेट
2. (2) अंशकालिक प्रवक्ता

अंग्रेजी विभागः

1. डा. प्रिया शर्मा, एम.ए., बी.एड,. पीएच.डी.
2. (3) अंशकालिक प्रवक्ता

राजनीतिशास्त्र विभागः

1. डा. आबिदा खातून, एम.ए., बी.एड., पीएच.डी. aaabidakhatun@gmail.com
2. डा. मृदुल त्रिवेदी, एम.ए. (अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र), एम.एड., पीएच.डी., यू.सेट mradulrani1975@gmail.com
3. अंशकालिक प्रवक्ता
4. मानदेय प्रवक्ता

इतिहास विभागः

1. डा. अपर्णा चौहान, एम.ए., पीएच.डी., यूसेट

अर्थशास्त्र विभागः

1. श्रीमती मंजु कोहली, एम.ए.

गृहविज्ञान विभागः

1. श्रीमती पूजा कुमार, एम.एस.सी. (फूड एण्ड न्यूट्रीशन) नेट, विभागाध्यक्षा
2. डा. सुनीता आर्य, एम.ए. (गृहविज्ञान), पीएच.डी.
3. डा. पूजा निरमानिया, एम.एस.सी., नेट, पीएच.डी.
4. देविका, एम.एस.सी., नेट, बी.टी.सी.
5. दीपा. एम.एस.सी., नेट, सी.टेट, यू.सेट
6. (6) अंशकालिक प्रवक्ता

चित्रकला विभागः

1. डा. किश्वर ज़ैदी, एम.ए., बी.एड. (मूर्तिकला डिप्लोमा) dr.kishwarzaidi803@gmail.com
   पीएच.डी., (विभागाध्यक्ष)

2. डा. ऋचा शर्मा, एम.ए., डिप्लोमा टेक्सटाईल डिजाइनिंग, आई.जी.डी. dr.richasharma11@gmail.com

3. कु. विनीता चौधरी, एम.ए., ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग, अंग्रेजी, नेट, बी.एड., डिप्लोमा आई.जी.डी., टेक्सटाइल एण्ड इंटीरियर डिजाइनिंग

4. श्रीमती रजनी बंसल, एम.ए., बी.एड.

5. (2) अंशकालिक प्रवक्ता

संगीत विभागः

1. डॉ0 सुरिन्दर कौर, एम.ए., पीएच.डी.

शारीरिक शिक्षा विभागः

1. डा. मंजु अरोड़ा, डी.पी.एड., एम.पी.एड. एन.आई.एस. (बैडमिंटन) नेट, पीएच.डी. dr.manju.arora01@gmail.com

2. डा. सीमा चौधरी, एम.पी.एड., पीएच.डी.

3. अंशकालिक प्रवक्ता

पर्यावरण विभागः

1. श्रीमती शिखा सेठी, एम.ए. (अंग्रेजी, भूगोल), बी.एड.

बी.सी.ए. विभागः

1. श्रीमती वैशाली चौहान, एम.सी.ए.

2. श्री विवेक राजवंशी, एम.सी.ए.

3. श्रीमती ज्योति त्यागी, एम.सी.ए.

बी.कॉम. विभागः

1. डा. यश अग्रवाल, एम.काम., पीएच.डी.

2. (2) अंशकालिक प्रवक्ता

बी.एड. विभागः

1 डा. दीप्ति डिमरी, एम.ए. (हिन्दी, इतिहास, समाजशास्त्र), एम.एड., नेट, पीएच.डी.

2. डा. सुरेश सिंह, एम.एम.सी. (गणित), एम.एड., पीएच.डी. dr.suresh1975@gmail.com

3. श्रीमती नजमुन्निसा, एम.ए., एम.एड., नेट najmunnisa.reporter@gmail.com

4. श्रीमती शालिनी राजपूत, एम.एस.सी., एम.एड.

5. श्रीमती मोनिका वर्मा, एम.ए., एम.एड.

6. (5) अंशकालिक प्रवक्ता

मॉस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एण्ड मीडिया टैक्नीकः

1. डा. विदुषी भारद्वाज–कोआर्डिनेटर, हिन्दी विभागाध्यक्षा vidushi.bharadwaj@gmail.com

2. अंशकालिक प्रवक्ता

इन्टीरियर डिजाइनिंग विभागः

1. श्रीमती नम्रता त्यागी, एम.ए., समाजशास्त्र, डिप्लोमा इंटीरियर, आई.जी.डी.

टैक्सटाइल डिजाइनिंगः

1. श्रीमती मंजु त्यागी, एम.ए., बी.एड., डिप्लोमा पालीटेक्निक व टेक्सटाईल, आई.जी.डी.

इंग्लिश स्पीकिंग कक्षाएँ:

1. अंशकालिक ट्यूटर

कम्प्यूटर विभाग:

1. अंशकालिक ट्यूटर

शिक्षणेत्तर कर्मचारी:

1.	श्री करन सिंह	कार्यालय अधीक्षक
2.	श्री कपिल कान्त गुप्ता	पुस्तकालय लिपिक
3.	श्रीमती मनीषा शर्मा	तबला संगतकार
4.	श्री चन्द्रपाल सिंह	लिपिक (स्ववित्त पोषित)
5.	श्रीमती कंकना	प्रयोगशाला सहायक (स्ववित्तपोषित)
6.	श्री सर्वेश पाराशर	लिपिक (स्ववित्त पोषित)
7.	श्री नबील अख़्तर	वरिष्ठ कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्ववित्तपोषित)
8.	श्री विकास भारती	सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्ववित्तपोषित)
9.	श्री प्रताप कुमार	लिपिक (स्ववित्त पोषित)
10.	श्री तौफ़ीक अहमद	सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्ववित्तपोषित)
11.	श्रीमती इन्दु शर्मा	प्रयोगशाला सहायक (स्ववित्तपोषित)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी:

1.	श्री राजाराम वर्मा	चपरासी
2.	श्री जयपाल सिंह	लैब बियरर
3.	श्री धीरज कुमार	बुक लिफ्टर
4.	श्री सियामुद्दीन	चौकीदार
5.	श्री इनाम साबिर	चपरासी
6.	श्रीमती रिशम देवी	सफाईदारिनी
7.	श्री माधव कुमार	चपरासी (स्ववित्त पोषित)
8.	श्री टीकम सिंह	चपरासी (स्ववित्त पोषित)
9.	श्री अर्जुन सिंह	चपरासी (स्ववित्त पोषित)
10.	श्री ज्ञान सिंह	माली (स्ववित्त पोषित)
11.	श्री अरविन्द्रा	चपरासी (स्ववित्त पोषित)
12.	श्री पीतम सिंह	चपरासी (स्ववित्त पोषित)
13.	श्री कौशल	चपरासी (स्ववित्त पोषित)
14.	श्री अरविन्द	चपरासी (स्ववित्त पोषित)
15.	श्री मोहन	चपरासी (स्ववित्त पोषित)
16.	श्री रामपाल सिंह	चपरासी (स्ववित्त पोषित)
17.	श्री चमन	सफाईदार (स्ववित्त पोषित)
18.	श्री राजकुमार	सफाईकार (स्ववित्त पोषित)
19	श्री अमरजीत सिंह	सफाईकार (स्ववित्त पोषित)

सरस्वती वन्दना

हे शारदे माँ, हे शारदे माँ
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।

तू स्वर की देवी, है संगीत तुझसे,
हर शब्द तेरा, है हर गीत तुझसे।
हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे,
तेरी शरण हम, हमें तार दे माँ।

ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी,
वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी।
हम भी तो समझें, हम भी तो जानें,
विद्या का हमको, अधिकार दे माँ।

तू श्वेत वर्णी, कमल पर विराजे,
हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे।
मन से हमारे, मिटा दो अंधेरे,
उजालों का हमको, संसार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।

कुलगीत

सुरभित सुन्दर मधुर मनोहर
महिला महाविद्यालय अपना।
शोभा यह बिजनौर नगर की
जो गंगातट बसा हुआ है
कृष्ण चरण की रज से पावन
विदुर प्रेम रस रसा हुआ है
दिव्य साधनाएं सम्पादित
अनगिन ऋषि मुनियों की जिस पर
उसी भूमि का मान बढ़ाता
महिला महाविद्यालय अपना।
वीराकुल की माँ श्री की
अभिलाषा का साकार रूप यह
नारी जागृति को संकल्पित
त्याग प्रेम समता स्वरूप यह
गति प्रगति-सोपान समर्पण
संस्कृति की जाज्वल मशाल बन
संयम मानवता सिखलाता
महिला महाविद्यालय अपना।
ज्ञानसूर्य यह, शक्ति पुंज यह
नवशास्त्रों का है संवाहक
गूँज रहे कण-कण में जिसके
मन्त्र चेतना के उधारक
अनुशासन उत्कर्ष प्रभामय
आशा नव उल्लास प्रेरणा
चरैवेति का पाठ पढ़ाता
महिला महाविद्यालय अपना।
कला शास्त्र साहित्य और
संगीत सहित नूतन विधाएं
पूर्ण स्वावलम्बन की गायी
जाती मधुर प्रशस्त्र ऋचाएं
कंटककीर्ण कठिन जीवन में,
अमृतस्रोत बन विश्व सरित में
स्वर्णकमल शत शत विकसाता
महिला महाविद्यालय अपना।
शतशत तेरा अभिनन्दन है
कोटि-कोटि तेरा वन्दन है
अमर रहे तू, अमर रहे तू
हृदय वाटिका में गुंजन है
देशभक्ति के दीप जलाता
महिला महाविद्यालय अपना।

गीतकारः
डॉ. विदुषी भारद्वाज
संगीत निर्देशनः
डॉ. सुरिन्दर कौर

Our Bright Stars/Toppers 2014

Graduation / Post Graduation

Kamiya Naaz
63.2% in English

Divya Sharma
64.9% in Hindi

Massom Raza
77.4% in Urdu

Tarang Gambhir
68% Sociology

Nisha Rani
78.5% in H.Sc.

Manisha
86.5% in Drawing

Twesha Tank
69.5% in Mass Comm.

Naziya Parveen
66.11% In Pol. Sd.

Swati Singh
78% in B.Ed.

Pallavi Agarwal
75.89% in B.Sc. H.Sc.

Darshika Chauhan
72.6% in BCA

Topper in B.A.

Chhaya
72.5% in B.A.

Monika Sharma
87.67% in Textile

Pooja Sharma
88.5% in Interior

Dr. Vandana Sharma
Ph.D. awarded under Supervision
Dr. Vidushi Bhardwaj

Our Bright Stars/Toppers 2015

Graduation / Post Graduation

Saba Khan
63.00% in English

Sonali Verma
64.8% in Hindi

Khakashan Anjum
68.44% in Urdu

Sonika Chaudhary
65.7% in Sociology

Himanshi
77.08% in Home Sci.

Pooja Verma
78.3% in Drawing & Painting

Tewesha Tank
69.05% in Mass Com.

Amreen
64% in Pol. Sci.

Bhagya Shree
78.07% in B.Ed.

All Round Personality

Akansha
77.39% in B.Sc. H.Sc.

Darshika Chauhan
77.8% in B.C.A.

Topper in B.A.

Sabenoor
75.00% in B.A.

Monika Sharma
87.67% in Textile

Pooja Sharma
88.05% in Interior

Sarita Verma
Best Athlete

EDUCATIONAL CLINIC
MAHILA MAHAVIDYALAYA

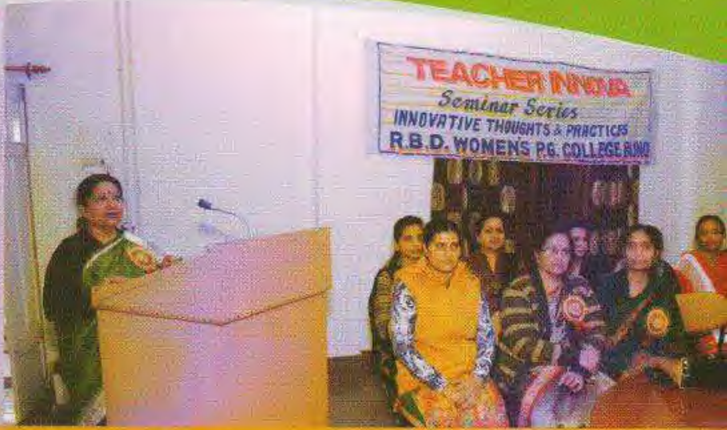
Seminar Series
INNOVATIVE THOUGHTS & PRACTICES

रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय, बिजनौर
कबड्डी (महिला) प्रतियोगिता में
हार्दिक अभिनन्दन

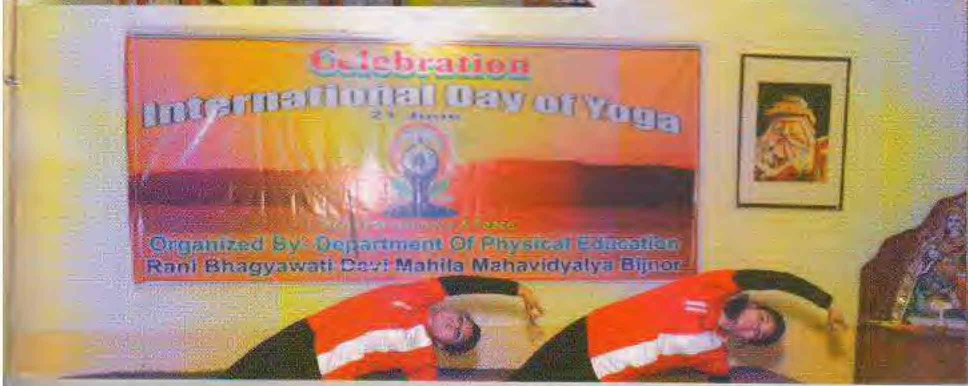
Celebration
International Day of Yoga
Organized By: Department Of Physical Education
Rani Bhagyawati Devi Mahila Mahavidyalya Bijnor

नारी

शिक्षण
प्रशिक्षण
सशक्तिकरण